

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार
का कार्यालय,
निर्वाचन विभाग,
बिहार सरकार

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4(1) के अंतर्गत प्रकाशन

7, मैंगल्स रोड, पटना – 800015

**सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
की धारा 4 के अन्तर्गत
प्रकाशन**

क्रमांक	विषय	पेज संख्या
1	2	3
1	भूमिका	3
2	विभाग के कर्तव्य व दायित्व	5
3	निर्णय लेने हेतु अपनाई गई प्रक्रिया, पर्यवेक्षण तथा जबावदेही के स्तर और कर्तव्य निर्वहन हेतु अपनाई गई पद्धति	12
4	राष्ट्रपति / उप राष्ट्रपति के निर्वाचन	19
5	राज्यों के विधायकों तथा सांसदों के लिये निरर्हताएँ	20
6	अभ्यर्थियों का नाम निर्देशन	26
7	जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के फोन नम्बर/फैक्स नम्बर तथा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाची पदाधिकारियों की सूची।	28
8	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों की सूची	32
9	राज्य विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की सूची	38
10	कार्यों के निर्वहन हेतु नियमावलियाँ, अधिनियम, निदेश, हस्तक तथा अन्य अभिलेख आदि	44
11	विभाग में संधारित दस्तावेजों/अभिलेखों का वर्गीकरण	46
12	निर्वाचन विभाग के सभी पदाधिकारियों के फोन नम्बर तथा पदनाम	46
13	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय के पदाधिकारियों व कर्मचारियों के मासिक वेतन/पारिश्रमिक	47
14	बजट प्रावधान	47
15	अन्य वांछित सूचनाएँ।	50

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) के अधीन सूचना हस्तक

परिचय

1.1. हस्तक की पृष्ठभूमि, लक्ष्य व उद्देश्य

सूचना का अधिकार 2005 (केन्द्रीय अधिनियम 22, 2005) का अधिनियमन, नागरिकों को सूचना का अधिकार सुनिश्चित करने हेतु किया गया ताकि उनकी सूचनाओं तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके और इस प्रकार लोक प्राधिकारों के संव्यवहार में पारदर्शिता व जवाबदेही को बल मिल सके।

यह हस्तक निर्वाचन कार्यों में संलग्न लोक प्राधिकारों के दायित्वों का विवरण देता है।

1.2. इस हस्तक के लक्षित उपयोगकर्ता

आम नागरिक, राजनैतिक दलों के सदस्य, पदाधिकारी तथा कर्मी जो निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हैं, इस हस्तक का उपयोग करेंगे।

1.3. सूचना के संधारण का स्वरूप

इस हस्तक में दी सूचनाएँ चैप्टरवार हैं, जैसा अनुक्रमणिका में दर्शाया गया है।

1.4. सम्पर्क पदाधिकारी

निर्वाचन विभाग, बिहार के लोक सूचना पदाधिकारी, जैसे संयुक्त/उप निर्वाचन पदाधिकारी और सहायक लोक सूचना पदाधिकारी इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ सम्पर्क (Contact Person) पदाधिकारी होंगे।

1.5. सूचना प्राप्ति की प्रक्रिया व शुल्क का ढाँचा

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 8/सू0अ0-15-01/2006 का0- 2819 दिनांक 27.3.06 के अनुसार:-

- (a) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ रू0 10.00 (दस रुपये) मात्र की राशि शुल्क के रूप में देय होगी। यह आवेदन शुल्क नगद, डिमान्ड ड्राफ्ट, चेक, पोस्टल ऑर्डर, नन जूडीशियल स्टाम्प ईत्यादि के रूप में या बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के नियम 3(1) तथा 3(2) I में वर्णित प्रावधानों के अनुसार अदा की जायेगी। राज्य लोक सूचना पदाधिकारी के समक्ष सूचना पाने हेतु दिये जाने वाले आवेदन के साथ शुल्क अदा कर दिये जाने संबंधी साक्ष्य के रूप में शुल्क जमा करने की रसीद की छायाप्रति संलग्न की जानी होगी।
- (b) अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत सूचना देने के लिए ली जाने वाली फीस भी उपर्युक्त रीतियों से जमा की जा सकती है। इसकी दरें राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या 8/सू0अ0-15-01/2006 का0- 2819 दिनांक 27.03.2006 द्वारा निम्न प्रकार निर्धारित की गई है:-

क्रम सं०	सूचना का ब्यौरा	फीस की राशि
1.	सूचना देने हेतु आवेदन शुल्क	10/- (दस) रुपये प्रति आवेदन
2.	अन्य सूचना/अभिलेख (क) सूचना उपलब्ध कराने (i) ए4, ए3 साईज पेपर (ii) बड़ा साईज का पेपर	2 (दो) रुपये प्रति पृष्ठ। बड़े आकार के कागज पर फोटो कॉपी करने में होने वाला वास्तविक व्यय
	(ख) सैम्पल, मॉडल, फोटोग्राफ	वास्तविक व्यय की राशि

नोट: विभाग के द्वारा सैम्पल अथवा मॉडल के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करना होगा।

3.	अभिलेखों के निरीक्षण हेतु	पहले एक घंटे के लिए कोई फीस देय नहीं होगी। उसके बाद प्रति घंटे और उसके अंश के लिए 5/- (पाँच) रुपये की दर से शुल्क देय होगा।
----	---------------------------	---

नोट: जहाँ कहीं इस प्रकार की पद्धति अथवा प्रक्रिया वर्तमान है वहाँ पूर्व से निर्धारित दर जारी रहेगी, और उपर्युक्त फीस लागू नहीं होगी।

4.	जहाँ संभव हो (फ्लॉपी/सी0डी0) और डिस्क में सूचना उपलब्ध कराने पर	25/- (पच्चीस) रुपये प्रति (फ्लॉपी) अथवा सी0डी0 देय होगा।
5.	अपीलीय प्राधिकार के तहत पर अपील दायर करने हेतु आवेदन शुल्क।	10/- (दस) रुपये प्रति अपील।

बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 के परिशिष्ट 1 में भी इसे समाविष्ट किया गया है तथा नियम के अनुसार राज्य सरकार समय-समय पर इन दरों को पुनर्निर्धारित कर सकती है।

- (c) अधिनियम की धारा 7(5) के अंतर्गत सूचना प्रदान करने के लिये फीस नकद (जहाँ नकद प्राप्ति की व्यवस्था है), बैंक ड्राफ्ट, नॉन जूडीशियल स्टाम्प या बिहार सूचना का अधिकार नियमावली 2006 की धारा 3(1) तथा 3(2) I में प्रावधानित किसी भी रीति से प्राप्त की जायेगी।

गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति से शुल्क नहीं लिए जायेंगे बशर्ते कि उनके द्वारा नियमावली के नियम 3(2) II में वर्णित रीति से गरीबी रेखा के नीचे होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया जाये।

धारा 4(1)b(i)

संगठन, कर्तव्यों व दायित्वों का विवरण

1. **विभाग का नाम व अवस्थिति:** यह विभाग एक स्वतंत्र विभाग है जो, निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार, के नाम से जाना जाता है तथा यह 7- मैंगल्स रोड, पटना-800015. में अवस्थित है।

2. वैधानिक स्थिति व गठन

सभी राज्य विधान मंडलों तथा संसद सदस्यों के निर्वाचन तथा राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के चुनावों के लिए निर्वाचक सूची तैयार करने तथा चुनाव कराने का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग का है। भारत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं।

राज्य स्तर पर निर्वाचन कार्य, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण के अधीन रहते हुए राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त होते हैं) तथा उनके अधीन अन्य पदाधिकारियों, कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सामान्यतः अखिल भारतीय सेवा के सचिव या उच्चतर संवर्ग से नियुक्त किये जाते हैं इसीलिए इस राज्य में इसका पदनाम मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार सरकार है। जिला स्तर पर निर्वाचन संबंधित प्रशासन के शीर्ष पर जिला निर्वाचन पदाधिकारी होते हैं जो सामान्यतः जिला पदाधिकारी (DEO-cum-DM) हुआ करते हैं। क्षेत्रीय प्रशासन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के बाद निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (EROs) तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) होते हैं (जिनका कार्य निर्वाचक सूची की तैयार व संधारण करना होता है। ये सामान्यतया अनुमंडल पदाधिकारी (SDO) तथा उपसमाहर्ता के स्तर के पदाधिकारी होते हैं)। निर्वाची पदाधिकारी (ROs) तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी (AROs) निर्वाचन प्रक्रिया का संचालन (Conduct of Election) करते हैं। इनके अतिरिक्त उप/अवर निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य मतदान पदाधिकारी भी निर्वाचन के संचालन के कार्य में संलग्न होते हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की स्थापना बिहार राज्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 13A के अधीन हुई है जिसका उद्देश्य निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करना है:-

3. कर्तव्य और दायित्व

(i) निर्वाचनों/उप निर्वाचनों का विनिष्पादन

- बिहार राज्य के कुल 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए
- राज्य के 40 लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए

नोट:- ये दो प्रत्यक्ष निर्वाचन हैं जिनमें निर्वाचक सीधे भाग लेते हैं


- बिहार राज्य की विधान परिषद् के 63 स्थानों के लिए
- राष्ट्रपति पद के लिए
- उपराष्ट्रपति पद के लिए

नोट:- इन पदों के लिए निर्वाचन अप्रत्यक्ष होते हैं तथा निर्वाचक मंडल सीमित होता है, जिनमें संसद तथा राज्य की विधान सभा के निर्वाचित प्रतिनिधि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु निर्वाचक होते हैं।

- (ii) निर्वाचन से सम्बद्ध प्रत्येक अधिकारी का दायित्व यह सुनिश्चित करना है कि निर्वाचन स्वतंत्र व स्वच्छ रीति से, संबंधित अधिनियमों, नियमों तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए कार्यपालक आदेशों के अनुसार विसम्पादित हों।
- (iii) त्रुटिरहित निर्वाचक सूची की तैयारी


4. Structure

4(क) सामान्य संरचना



4 (ख) राज्य स्तर पर अपनाग की संरचना

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी—सह—सरकार के सचिव,



4 (ग) जिला स्तरीय संरचना

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाची पदाधिकारी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त नियुक्त किये जाते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी	38
उप निर्वाचन पदाधिकारी – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल—	27
अवर निर्वाचन पदाधिकारी – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल—	56
लिपिक/सहायक – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल—	101
अनुसेवक – सभी जिलों में कुल मिलाकर स्वीकृत बल—	112

4 (घ) जिला स्तर से नीचे: अनुमंडल तथा प्रखंड/अंचल कार्यालय व स्थानीय निकायों के पदाधिकारी, पर्यवेक्षक एवं अन्य कर्मी निर्वाचन सम्बंधी कार्यों का सम्पादन करते हैं।

5 कार्यालय की कार्यावधि

कार्यालय की कार्यवधि प्रत्येक कार्य दिवस में 9:30 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक होती है। मध्याह्न भोजनावकाश 1:00 बजे अपराह्न से 2:00 बजे अपराह्न के बीच होता है।

मई के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कई क्षेत्रीय कार्यालय प्रातःकालीन (Morning) हो सकते हैं।

नोट:— राज्य सरकार के कार्यालय सप्ताह में पांच दिन खुले रहते हैं। शनिवार एवं रविवार के दिन अवकाश रहता है।

6. शिकायतों का निस्तार

निर्वाचन से संबंधित अभ्यावेदन तथा शिकायतें, प्रत्येक कार्य दिवस को कार्यावधि में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में प्राप्त की जाती हैं। ये जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में भी प्राप्त की जाती हैं।

(अधिनियम की धारा 4(b)(ii))

पदाधिकारियों की शक्तियां व कर्तव्य

7. कर्तव्य

(क) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी

प्रत्येक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा तैयार व पुनरीक्षित की जाती है जो उस राज्य, जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र अवस्थित है, की सरकार से विमर्श के उपरान्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस हेतु अभिहित किया गया सरकारी या स्थानीय प्राधिकार का पदाधिकारी होता है। इसके द्वारा निम्नलिखित कार्य किये जाते हैं:-

- (i) प्रत्येक वर्ष की 1ली जनवरी को अर्हता तिथि मानते हुए निर्वाचक सूची का वार्षिक पुनरीक्षण
- (ii) मतदाता फोटो पहचान पत्र की तैयारी व वितरण
- (iii) निर्वाचक सूची व ईपिक (EPIC) से सम्बंधित शिकायतों का निवारण
- (iv) निर्वाचक सूची का सतत् अद्यतीकरण (Continuous Updation)

(ख) सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी:-

निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा कार्यों के निष्पादन में सहयोग करने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है जो निर्वाचन आयोग के नियंत्रण में रहते हुए निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के समस्त अथवा एकाधिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगा।

(ग) जिला निर्वाचन पदाधिकारी

केंद्र शासित क्षेत्रों को छोड़कर राज्य के प्रत्येक जिले के लिये, राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त, भारत निर्वाचन आयोग एक जिला निर्वाचन पदाधिकारी अभिहित या नामित करेगा जो एक सरकारी पदाधिकारी होगा और जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण में रहते हुए राज्य के अंतर्गत अवस्थित संसदीय, विधान सभा तथा परिषदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सम्बंधित निर्वाचक सूची की तैयारी, पुनरीक्षण तथा शुद्धिकरण करेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी संसद तथा राज्य की विधायिका से सम्बंधित निर्वाचन के निमित्त अपने क्षेत्राधिकार वाले जिले या क्षेत्र में निर्वाचन सम्बंधी समस्त कार्यों का अधीक्षण व समन्वय करेगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ऐसे अन्य कार्य भी करेगा जो उसे भारत निर्वाचन आयोग तथा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा सौंपे जाएँ। जैसे:-

- (i) दावों तथा आपत्तियों के निष्पादन में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा पारित आदेशों के लिये अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य।
- (ii) निर्वाचन सम्बंधी शिकायतों का निस्तार
- (iii) निर्वाचनों के संचालन से सम्बंधित दायित्व
- (iv) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यों को समन्वित करना व सुगम बनाना

(घ) निर्वाची पदाधिकारी

निर्वाचन द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की रिक्तियों को भरने हेतु, निर्वाचन आयोग, राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त एक निर्वाची पदाधिकारी नामित/अभिहित करता है जो सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार का अधिकारी होता है।

निर्वाची पदाधिकारी अपने निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन के लिये प्रथमतः उत्तरदायी होगा।

निर्वाची पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्य

- निर्वाचन हेतु कार्यक्रम तैयार करना तथा उसके लिये तैयारी करना,
- निर्वाचन सामग्रियों की आधिप्राप्ति,
- मतदान केन्द्रों का चयन व स्थापना,
- निर्वाचन कर्मियों (सुरक्षित कर्मियों के साथ) की नियुक्ति व प्रशिक्षण,
- नामनिर्देशन पत्र, जमानत राशि तथा अभ्यर्थियों के बारे में राजनैतिक दलों द्वारा दी जाने वाली सूचना की प्राप्ति।
- निर्वाचन व्यय लेखा संधारण करने से सम्बंधित निदेशों तथा सम्बंधित पंजी ईत्यादि को हस्तगत कराना
- नामनिर्देशन पत्रों की जाँच
- चुनाव चिन्हों का आवंटन
- नामनिर्देशन हेतु सूचना, वैध रीति से नामनिर्देशित अभ्यर्थियों की सूची तथा प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों की सूची का प्रकाशन,
- डाक मतपत्रों का मुद्रण तथा उन्हें सेवा निर्वाचकों को प्रेषित करना
- स्वतंत्र, स्वच्छ तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने तथा आदर्श आचार संहिता लागू करने हेतु अभ्यर्थियों तथा राजनैतिक दलों के साथ बैठकें व सम्पर्क करना।
- निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने हेतु मतदान दलों की उपस्थिति तथा मतपत्र व अन्य निर्वाचन सामग्रियों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- मतदान का पर्यवेक्षण तथा भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिवेदनों का प्रेषण

- मतदान के उपरान्त ई०वी०एम० का, समुचित सुरक्षा प्रबंध के साथ, परिवहन व भंडारण,
- मतगणना हेतु स्थल का निर्धारण व मतगणना
- परिणाम की घोषणा
- मतगणना के उपरान्त निर्वाचन से सम्बंधित कागजात व सामग्रियों की अभिरक्षा
- प्रतिस्पर्धी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा की जाँच तथा उनके रिटर्न का आयोग को समर्पण
- निर्वाचन कार्य का पूर्ण अधीक्षण

(ड) सहायक निर्वाची पदाधिकारी

कार्य सम्पादन में निर्वाची पदाधिकारी की सहायता के लिये निर्वाचन आयोग एकाधिक सहायक निर्वाची पदाधिकारी नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक सहायक निर्वाची पदाधिकारी, निर्वाची पदाधिकारी के नियंत्रण में रहते हुए, निर्वाची पदाधिकारी के सभी या किसी कार्य को सम्पादित करने में सक्षम होगा। परंतु वह नामनिर्देशन पत्रों की जाँच तब तक नहीं करेगा जब तक कि निर्वाची पदाधिकारी किसी अपरिहार्य कारण से इस कार्य को करने से वंचित न कर दिया जाये।

(च) पीठासीन व मतदान पदाधिकारीगण

जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिए एक पीठासीन पदाधिकारी तथा अन्य उतने मतदान पदाधिकारियों की नियुक्त करेगा जितने वह आवश्यक समझे, परंतु वह ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करेगा जो किसी अभ्यर्थी की सेवा में हो अथवा अभ्यर्थी की तरफ से या उसके लिये चुनावों में या चुनाव के संदर्भ में कार्यरत हो। एक मतदान कर्मी, पीठासीन पदाधिकारी द्वारा निदेशित किये जाने पर पीठासीन पदाधिकारी के एकाधिक कार्यों को कर सकेगा। यदि पीठासीन पदाधिकारी बीमारी या किसी अन्य अपरिहार्य कारणवश मतदान केन्द्र से अनुपस्थित हो जाता है तो उसके कार्यों का सम्पादन वह मतदान पदाधिकारी करेगा जिसे इस प्रकार की अनुपस्थिति में इस प्रकार का कार्य करने के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पहले से ही प्राधिकृत कर दिया गया हो।

पीठासीन पदाधिकारी का सामान्य कर्तव्य है कि वह मतदान केन्द्र पर व्यवस्था बनाए रखे तथा यह सुनिश्चित करे कि मतदान स्वच्छ रीति से सम्पन्न हो रहा है। अपने प्रभार के मतदान केन्द्र पर सभी कार्यवाही के नियंत्रण हेतु उसे पूर्ण विधिक शक्ति प्राप्त होती है।

मतदान पदाधिकारी का कर्तव्य है कि वह पीठासीन पदाधिकारी को उसके कार्यों के सम्पादन में सहयोग करे। सामान्यतया एक मतदान दल, एक पीठासीन पदाधिकारी तथा 3 मतदान पदाधिकारियों से गठित होता है। यदि निर्वाचकों की संख्या 1200 से अधिक हो तो एक मतदान दल में 4 मतदान कर्मी होते हैं। लोक सभा तथा राज्य सभा के लिये एक साथ होने वाले चुनाव में एक मतदान दल में एक पीठासीन पदाधिकारी तथा 5 मतदान पदाधिकारी होते हैं।

(छ) मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के कार्यालय के कर्तव्य

लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक सरकारी पदाधिकारी को राज्य सरकार से विमर्श के उपरान्त में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में अभिहित या नामित किया जाता है, जो भारत निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण में राज्य की निर्वाचक सूची की तैयारी, पुनरीक्षण व शुद्धिकरण का पर्यवेक्षण करते हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन के नियंत्रण में रहते हुए, राज्य में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अधीन सभी निर्वाचनों के संचालन का पर्यवेक्षण भी करते हैं। इस दिशा में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का दायित्व निम्न प्रकार है:-

- (i) राज्य स्तर पर उपर्युक्त सभी कार्यों के समन्वय को सुगम बनाना ताकि निर्वाचन आयोग के सभी निदेशों/अनुदेशों का, बिना किसी भूल-चूक के, क्रियान्वयन हो सके।
- (ii) निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा पारित कतिपय आदेशों के लिये अपीलीय प्राधिकार के रूप में कार्य करना।

(धारा 4(b)(iii) और (iv))

निर्णय लेने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया, पर्यवेक्षण व जवाबदेही की पद्धतियाँ तथा कार्यों के सम्पादन की परिपाटी।

पूर्व वर्णित कार्यों व कर्तव्यों का संचालन, सम्बंधित अधिनियमों तथा निर्वाचन नियमों (Election Law (2 volumes)) तथा आदेशों जो निर्वाचन नियमों के हस्तकों, जिनका विवरण बाद में दिया जायेगा, के अनुसार होता है।

आम जनता के लिये उपयोगी निर्णय लेने के प्रमुख क्षेत्र तथा इसमें अपनाई जाने वाली पद्धतियाँ नीचे वर्णित हैं। पर्यवेक्षण तथा जवाबदेही निरूपण की पद्धति सामान्यतः सांगठनिक ढाँचे के अंतर्गत पूर्ववर्णित रीति के अनुसार होती है।

क. विधान सभा की निर्वाचक सूची में प्रविष्टि तथा मताधिकार

(i) निर्वाचक सूची में प्राविष्टि के लिए शर्तें –

- 1) निदेशित तिथि, जो सामान्यतया वर्ष की पहली जनवरी होती है— को 18 वर्ष की उम्र का पूरा हो जाना।
- 2) उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्यतया निवासी होना जहां से आवेदन दिया गया हो।

(ii) निर्वाचक सूची में प्रविष्टि के लिये निरर्हताएँ –

- 1) भारत का नागरिक नहीं है।
- 2) पागल (of unsound mind), यदि किसी सक्षम न्यायालय ने ऐसा घोषित किया है।
- 3) निर्वाचनों के संबंध में भ्रष्ट आचरणों और अन्य अपराधों से संबंधित किसी विधि के उपबंधों के अधीन मतदान करने के लिये तत्समय निरर्हित है।

(iii) मतदान करने के लिये अर्हताएँ

- (1) निर्वाचक का नाम निर्वाचक सूची के सम्बंधित भाग में होना चाहिये।
- (2) मतदाता फोटो पहचान पत्र अथवा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान हेतु निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज होना चाहिये।
- (3) निर्वाचक का नाम अन्यत्र उसी भाग की निर्वाचक सूची में/किसी अन्य भाग की निर्वाचक सूची में/ भारतवर्ष के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नहीं होना चाहिये।
- (1) मताधिकार का प्रयोग तब नहीं किया जा सकता जब निर्वाचक कारा में संसीमित हो (निरुद्ध रखने या बाहर भेजे जाने या अन्य किसी सजा के अंतर्गत), या पुलिस की निवारक निरोध को छोड़कर अन्य प्रकार से विधिसम्मत अभिरक्षा (custody) में हो।
- (2) निर्वाचक सूची में प्रविष्टि के लिए अर्हताओं से सम्बंधित कंडिका सं० 4 व 5 के अंतर्गत कोई अयोग्यता नहीं हो।

(iv) सेवा निर्वाचक

सेवा निर्वाचकों की उसी क्षेत्र की निर्वाचक सूची में प्रविष्टि हो सकती है जहाँ के वे साधारणतया निवासी होते, यदि सेवा में नहीं होते, अर्थात् उनके स्थायी पते से संबंधित क्षेत्र की निर्वाचक सूची में। वे डाक मतपत्र या प्रतिनिधि के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। सम्बंधित भाग की निर्वाचक सूची में उनके नाम की प्रविष्टि तथा प्रतिनिधि निर्वाचक नियुक्त करने सम्बंधी सूचना देने हेतु उनके आवेदन उचित माध्यम (उनके विभागीय प्रमुख) से मु.नि.प./जि.नि.प./नि.नि.प. को अग्रसारित किये जाने चाहिये।

सेवा के मुख्य अधिकारी के पास इस हेतु संबंधित प्रपत्र उपलब्ध होता है। यदि किसी निर्वाचन के क्रम में नामनिर्देशन की अंतिम तिथि के पूर्व प्रतिनिधि निर्वाचक (Proxy voter) की नियुक्ति के सम्बंध में कोई सूचना निर्वाची पदाधिकारी को प्राप्त नहीं होती है तो स्वतः ही सेवा निर्वाचक को डाक मतपत्र भेज दिये जायेंगे।

- थल सेना, नौसेना, वायुसेना तथा अर्धसैनिक बलों तथा भारत सरकार के भारत से बाहर पदस्थापित कर्मियों जैसी वर्गीकृत सेवाओं के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रतिनिधि द्वारा मतदान (Proxy voting) की अनुमति दी गई है। प्रतिनिधि निर्वाचक उसी निर्वाचन क्षेत्र में निबंधित निर्वाचक होना चाहिये।
- ऐसे सेवा निर्वाचकों की पत्नियाँ इस सुविधा की हकदार नहीं होंगी।
- वर्गीकृत सेवा निर्वाचकों के नाम के समक्ष, निर्वाचक सूची के अंतिम भाग में व.से.म. (CSV) अंकित रहेगा।
- इस प्रकार के व.से.म. की सूची सम्बंधित मतदान केन्द्रों पर भेजी जायेगी।
- प्रतिनिधि निर्वाचक के बाँए हाथ की मध्यमा उँगली पर अमिट स्याही लगाई जानी चाहिये।
- प्रतिनिधि निर्वाचक दो मत दे सकता है, एक अपने लिए अपनी पहचान के आधार पर तथा दूसरा उस निर्वाचक के बदले जिसका उसे प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है।

(iv) डाक मतपत्र द्वारा मतदान

डाक-मतपत्र द्वारा मतदान की सुविधा निम्न श्रेणी के निर्वाचकों को अनुमान्य है:-

- ✓ विशेष निर्वाचक
- ✓ सेवा निर्वाचक
- ✓ विशेष/सेवा निर्वाचक की पत्नी
- ✓ निर्वाचक जो निर्वाचन कर्तव्य पर है/रसोइये, अनुसेवक व चालक जो निर्वाचन कर्तव्य पर हैं।
- ✓ निर्वाचन कर्तव्य पर आरक्षी सेवा के कर्मी
- ✓ मतदान कर्मी
- ✓ अभ्यर्थियों के चुनाव अभिकर्ता, जो सेवा कर्मी (Service personnel) न हों। अन्य निर्वाचकों को निर्वाची पदाधिकारी के समक्ष मतदान की तिथि से कम से कम 7 दिन पहले डाक-मतपत्र के लिये आवेदन करना चाहिये।

सेवा निर्वाचकों को अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की तिथि से 48 घंटों के भीतर डाक-मतपत्र प्रेषित कर दिये जाएँगे।

A. निर्वाचक सूची से नाम का विलोपन

(i) कारण

1. साधारणतया निवासी नहीं होना/ निवास का परिवर्तन
2. एक से अधिक जगहों पर नाम दर्ज रहना
3. मृत्यु
4. अर्हता की तिथि को उम्र कम होना
5. नाम शामिल करने की शर्तों के क्रमांक 4 और/या 5 के अनुसार अयोग्य होना
6. भारत का नागरिक नहीं होना/ किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक होना।

क. निर्वाचक सूची में नामांकन

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी /सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	पूर्णरूप से भरे गए प्ररूप-6 में आवेदन का समर्पण / (प्ररूप-6 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र पदाधिकारी (BLO) विहित डाक घरों इत्यादि से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं)	निर्वाचक सूची में नामांकन	निर्वाचक के परिवार का कोई भी सदस्य, परंतु आवेदन प्ररूप-6 पर निर्वाचक का स्वयं का हस्ताक्षर होना चाहिये।	1. आवास प्रमाण पत्र 2. 18-20 वर्ष के निर्वाचकों के लिए उम्र से सम्बंधित प्रमाण पत्र। नवागंतुक निर्वाचकों के लिये पूर्व निवास स्थान का पता देना आवश्यक है। यदि इपिक (EPIC) निर्गत है तो उसका नम्बर दिया जाना है।	1. नि० नि० प० (ERO) / स० नि० नि० प० (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में- साधारणतया नि० नि० प० / स० नि० नि० प० के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर, इत्यादि।	आवेदन प्राप्त करने के सात दिनों के पश्चात्	मतदान केन्द्र क्षेत्र (भाग) से सम्बंधित विधान सभा अथवा लोकसभा चुनाव के दौरान नाम निदेशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक। किसी भी समय आवेदन थोक में (in bulk) प्राप्त नहीं किये जाएँगे।	1. प्ररूप-6 प्राप्त करना 2. प्राप्त दावों का प्ररूप-9 में प्रकाशन 3. स्थल सत्यापन या आवश्यक होने पर संक्षिप्त जाँच। 4. उच्चतर अधिकारियों द्वारा जाँच 5. नि०नि०प० (ERO) द्वारा आदेश पारित करना 6. पाण्डुलिपि की तैयारी 7. डाटा की प्रविष्टि तथा अंतिम प्रकाशन- ERO, AERO के कार्यालय में तथा अभिहित स्थलों पर, जैसा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निदेशित है। 8. यदि प्ररूप 6 में अपने पूर्व के निवास स्थान / निर्वाचक सूची में दर्ज होने का विवरण है तो वहां के ई.आर.ओ. को सूचित कराना	जिला निर्वाचन पदाधिकारी- निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सतत अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध

निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण के समय घर-घर जाकर प्रगणन किया जाता है तथा इस अवधि में दावों से सम्बंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते हैं। दावों से सम्बंधित प्ररूपों की प्राप्ति, प्ररूप प्रकाशन के पश्चात् की जाती है।

ख. निर्वाचक सूची से नाम का विलोपन

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (नि.नि.प./ERO) सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	पूर्णरूप से भरे गए प्ररूप-7 में आवेदन का समर्पण (प्ररूप-7 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय, मतदान केन्द्र पदाधिकारी (BLO) विहित डाक घरों इत्यादि से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं)	निर्वाचक सूची से नाम का विलोपन	1. स्वयं 2. कोई आपत्तिकर्ता जिसका नाम निर्वाचक सूची में हो। 3. निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी संतुष्ट होने पर स्वयं कार्रवाई प्रारंभ कर सकता है।	निवास परिवर्तन, मृत्यु या उम्र कम होने से सम्बंधित साक्ष्य, यदि कोई हो।	1. नि0 नि0 प0 (ERO)/ स0 नि0 नि0 प0 (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में- साधारणतया नि0 नि0 प0/ स0 नि0 नि0 प0 के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर, इत्यादि।	जाँच हेतु उपस्थित होने की नोटिस भेजने के कम-से-कम सात दिनों के बाद	मतदान केन्द्र क्षेत्र (भाग) से सम्बंधित विधान सभा अथवा लोकसभा चुनाव के दौरान नाम निदेशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक। किसी भी समय आवेदन थोक में (in bulk) प्राप्त नहीं किये जाएँगे।	1. आवेदन की प्राप्ति 2. प्राप्त आपत्ति आवेदनों का प्ररूप-10 में प्रकाशन 3. नोटिस निर्गत करना 4. नि0नि0प0 (ERO) द्वारा आदेश पारित करना 5. पाण्डुलिपि तैयार करना	जिला निर्वाचन पदाधिकारी- निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के निर्णय के विरुद्ध/ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी- सतत अद्यतीकरण के दौरान निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध

निर्वाचक सूची के गहन पुनरीक्षण के समय घर-घर जाकर प्रगणन किया जाता है तथा इस अवधि में दावों से सम्बंधित कोई आवेदन प्राप्त नहीं किये जाते हैं। दावों से सम्बंधित प्ररूपों की प्राप्ति प्रारूप प्रकाशन के पश्चात की जाती है।

निर्वाचक को आवश्यक अभिलेखों के साथ सात दिनों के भीतर उपस्थित होने की नोटिस निर्गत की जाती है। अगर निर्वाचक उपस्थित नहीं होता है तब निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी उसका नाम विलोपित करने की कार्रवाई कर सकता है।

ग. निर्वाचक सूची की किसी प्रविष्टि का शुद्धिकरण

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (नि.नि.प./ERO)/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	प्ररूप 8 में आवेदन	निर्वाचक सूची की किसी प्रविष्टि का शुद्धिकरण	सम्बंधित व्यक्ति स्वयं, जिससे सम्बंधित प्रविष्टि शुद्ध की जानी है।	शुद्धिकरण हेतु पर्याप्त साक्ष्य/ विवरण	1. नि0 नि0 प0 (ERO)/ स0 नि0 नि0 प0 (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में- साधारणतया नि0 नि0 प0/ स0 नि0 नि0 प0 के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर, इत्यादि।	आवेदन प्राप्त करने के सात दिन पश्चात्	विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन की अधिघोषणा के अनुसार नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक	1. प्ररूप 8 में आवेदन प्राप्त करना 2. प्राप्त दावों का प्ररूप 11 में प्रकाशन 3. जांचोपरान्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करना। 4. पाण्डुलिपि की तैयारी एवं उसी के अनुरूप निर्वाचक सूची में परिवर्तन करना।	1. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं। 2. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं।

घ. एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रविष्टि का एक भाग से दूसरे भाग की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरण।

निर्णय लेने हेतु वैधानिक प्राधिकार	आवेदक द्वारा किये जाने वाले कार्य	उद्देश्य	कौन आवेदन समर्पित कर सकता है	आवेदन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेखादि	आवेदन समर्पित करने की अवधि व स्थान	आदेश पारित करने की न्यूनतम वैधानिक अवधि	आवेदन प्ररूप प्राप्त करने पर रोक की स्थिति	अपनाई जाने वाली प्रक्रिया	अपील का प्रावधान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (नि.नि.प./ERO)/ सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी	प्ररूप 8 क में आवेदन	एक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत किसी प्रविष्टि का एक भाग से दूसरे भाग की निर्वाचक सूची में स्थानान्तरण।	सम्बंधित निर्वाचक	निवास स्थान परिवर्तन का पर्याप्त साक्ष्य	1. नि० नि० प० (ERO)/ स० नि० नि० प० (AERO) के कार्यालय में किसी भी समय 2. निर्वाचक सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान दावे प्राप्त करने के लिये निर्धारित अवधि में— साधारणतया नि० नि० प०/ स० नि० नि० प० के कार्यालय में तथा इस हेतु अभिहित स्थानों पर, विहित डाकघरों में, मतदान केन्द्रों पर, इत्यादि।	आवेदन प्राप्त करने के सात दिन पश्चात्	विधान सभा/लोक सभा निर्वाचन की अधिघोषणा के अनुसार नाम निर्देशन की अंतिम तिथि से निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने तक	1. प्ररूप 8क में आवेदन प्राप्त करना 2. प्राप्त दावों का प्ररूप 11 में प्रकाशन 3. जांचोपरान्त निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी द्वारा आदेश पारित करना। 4. पाण्डुलिपि की तैयारी एवं उसी के अनुरूप निर्वाचक सूची में परिवर्तन करना।	1. निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध संबंधित जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं। 2. निर्वाचक सूची के सतत् अद्यतीकरण के समय प्राप्त दावों पर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अपीलीय पदाधिकारी हैं।

ड. निर्वाचक सूची का प्रकाशन, दावे और आपत्तियाँ तथा मतदान केन्द्र ।

(i) निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया के अंतर्गत दावे और आपत्तियाँ दायर करने की अवधि में निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी प्रत्येक अभिहित स्थल पर प्रतिदिन निम्नांकित प्ररूपों को समेकित कर प्रकाशित करायेगा ताकि आम लोग उसे देख सकें तथा आपत्तियाँ दायर कर सकें (यदि कोई हों) –

— नाम शामिल करने हेतु प्राप्त प्रपत्र-6 की समेकित सूची प्रपत्र-9 में

— नाम विलोपित करने हेतु प्राप्त प्रपत्र 7 की समेकित सूची प्रपत्र 10 में

— प्रविष्टियों के शुद्धिकरण हेतु प्राप्त प्रपत्र 8 की समेकित सूची प्रपत्र 11 में तथा

— एक ही वि० स० निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत एक भाग से दूसरे में नाम स्थानान्तरित करने हेतु प्राप्त प्रपत्र 8 की समेकित सूची प्रपत्र 11 क में

(ii) पुनरीक्षण के समय, प्रारूप निर्वाचक सूची तथा अंतिम निर्वाचक सूची का प्रकाशन निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी तथा सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालयों में तथा अन्य अभिहित स्थलों पर (सामान्यतः मतदान केन्द्रों, डाकघरों इत्यादि) पर किया जाता है। गहन पुनरीक्षण अथवा सतत अद्यतीकरण के दौरान भी ऐसी ही प्रक्रिया अपनाई जाती है। निर्वाचक सूची के सतत अद्यतीकरण के दौरान तैयार की गई अनुपूरक सूचियों का प्रकाशन भी प्रारूप प्रकाशन के साथ ही किया जाता है।

(iii) प्रारूप निर्वाचक सूचियों की 2 प्रतियां (एक हार्ड व एक सॉफ्ट प्रति) प्रत्येक मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दल को नि० नि० प० (ERO) द्वारा प्रारूप प्रकाशन से पूर्व निःशुल्क दी जाती है एवं अन्तिम प्रकाशन के बाद अन्तिम रूप से प्रकाशित निर्वाचक सूची की 2 प्रतियां निःशुल्क दी जाती हैं।

(iv) विधान सभा और लोक सभा आम निर्वाचन के समय भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय दल के अभ्यर्थी को निर्वाचक सूची की दो प्रतियां निःशुल्क दी जाती हैं। यह व्यवस्था उप निर्वाचन में लागू नहीं है।

(v) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार निर्वाचक सूची भारत निर्वाचन आयोग/मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के वेबसाइट (www.eci.nic.in / www.ceo.bih.nic.in) पर भी उपलब्ध रहती है।

(vi) निर्वाचक सूची की प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति जारी करना/निर्वाचक सूची का मूल्य

किसी व्यक्ति के अनुरोध पर निर्वाचक सूची के एकाधिक नामों की प्रविष्टि की सत्यापित प्रति नि० नि० प० (ERO)/जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा निर्धारित मूल्य लेकर दी जायेगी। निर्धारित राशि का भुगतान कर कोई व्यक्ति पूर्व वर्षों की निर्वाचक सूची की प्रविष्टि की अभिप्रमाणित प्रति भी प्राप्त कर सकता है।

(vii) किसी व्यक्ति अथवा राजनैतिक दल द्वारा विहित शुल्क जमा करने पर उन्हें निर्वाचक सूची की प्रति निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है।

च. मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC)

संबंधित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में नामांकन के उपरान्त कोई निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्राप्त करने के योग्य हो जाता है। प्रथम बार निर्वाचक को फोटो पहचान पत्र निःशुल्क दिये जाने का प्रावधान है। ईपिक खो जाने या क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में इपिक की द्वितीयक प्रति जारी की जा सकती है, यदि निर्वाचक इस आशय का घोषणापत्र तथा विहित शुल्क समर्पित करता है। यदि निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी वर्तमान आवास की जांच करना चाहें तो संबंधित निर्वाचक को अपने वर्तमान निवास स्थान का प्रमाण भी देना होगा।

छ. निर्वाचन का संचालन

बिहार राज्य में 243 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र तथा 40 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। बिहार विधान सभा तथा लोक सभा के लिये निर्धारित सीटों को भरने हेतु होने वाले प्रत्येक चुनाव में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से एक निर्वाची पदाधिकारी नामित या अभिहित किया जाता है जो सरकारी पदाधिकारी या स्थानीय निकाय का पदाधिकारी होता है। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाची पदाधिकारी को उसके कार्यों के सम्पादन में सहयोग के लिए एकाधिक सरकारी या स्थानीय निकाय के पदाधिकारी को नियुक्त कर सकता है।

किसी निर्वाचन के समय निर्वाची पदाधिकारी का यह सामान्य दायित्व है कि वह अधिनियमों, नियमों व उनमें सन्निहित अनुदेशों के अनुसार निर्वाचन का संचालन करे।

(1) निर्वाचन हेतु अर्हताएँ और अनर्हताएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार संसद की सदस्यता के लिये अर्हताएँ –

- भारत का नागरिक हो
- राज्य सभा में निर्वाचित होने के लिए उसकी उम्र 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा में निर्वाचन के लिए उम्र 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ होनी चाहिये जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस निमित्त विहित की जायें।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 के अधीन संसद में निर्वाचन हेतु निरर्हताएँ –

- यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले को निरर्हित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
- यदि वह विकृतचित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।

- यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।
- कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है।
- कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिये निरर्हित होगा यदि वह दसवीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निरर्हित हो जाता है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 173 के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन के लिये अर्हताएँ –

- वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिये प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है।
- वह विधान सभा के स्थान के लिये कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु का और विधान परिषद् के स्थान के लिये कम से कम तीस वर्ष की आयु का है; और
- उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएँ हैं जो इस निमित्त संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाये।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन के लिये निरर्हताएँ –

- यदि वह भारत सरकार के या पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना राज्य के विधान मंडल ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है।
- यदि वह विकृतचिन्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है।
- यदि वह अनुन्मोचित दिवालिया है।
- यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वह किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार किए हुए है।
- यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

राष्ट्रपति का निर्वाचन

कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता नहीं रखता है यदि वह

(क) भारत का नागरिक न हो

- (ख) उसकी आयु 35 वर्ष से कम हो
- (ग) लोक सभा में निर्वाचन की योग्यता धारण न करता हो
- (घ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार जो राज्य अथवा केन्द्र सरकार के नियंत्रण में हो, के अंतर्गत लाभ का पद धारण करता हो

स्पष्टीकरण – कोई भी व्यक्ति मात्र इसीलिए लाभ के पद का धारक नहीं माना जायेगा कि वह राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति है अथवा किसी राज्य का अथवा केन्द्रशासित प्रदेश का राज्यपाल है।

उपराष्ट्रपति का निर्वाचन

उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हेतु अर्हताएँ वही हैं जो राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिए निर्धारित हैं, सिवा इसके कि उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन के लिये राज्य सभा में निर्वाचन की अर्हता होनी चाहिए।

संसद तथा राज्य विधान मंडलों के सदस्यों के लिए निरर्हताएँ

“निरर्हित करार दिये जाने (Disqualified)” का तात्पर्य है संसद अथवा राज्य विधान मंडलों में निर्वाचन हेतु अयोग्य करार दिया जाना।

कुछ अपराधों के लिए सजा दिए जाने के कारण निरर्हता

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 के अनुसार कोई व्यक्ति जो निम्नांकित धाराओं/अधिनियमों के अंतर्गत किये गये अपराधों के लिए सिद्धदोष है, सजा दिये जाने की तारीख से 6 वर्षों की अवधि के लिये निरर्हित करार दिया जायेगा (दंड की मात्रा से निरपेक्ष) :-

(a)	भारतीय दंड विधान	
	धारा 153 क	धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर लोगों के बीच शत्रुता फैलाना तथा सामाजिक समरसता के विरुद्ध कार्य करना
	धारा 171ड	रिश्वत लेना
	धारा 171च	किसी निर्वाचन को अनुचित तरीके से प्रभावित करना अथवा किसी दूसरे के छद्म रूप में (impersonation) कार्य करना
	धारा 376, 376क, 376ख, 376ग और 376 घ की उप-धारा 1 और 2	बलात्कार इत्यादि से संबंधित अपराध
	धारा 498क	पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता का अपराध
	धारा 505क की उप-धारा 2	विभिन्न वर्गों के बीच वैमनस्यता अथवा दुश्मनी को बढ़ावा

	और 3	देने वाले अपराध करना या किसी धार्मिक समारोह अथवा पूजा करते समय अथवा किसी पूजा स्थल पर इस प्रकार के बयान देना
(b)	नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955	अस्पृश्यता को किसी भी रूप में प्रचारित करने से संबंधित अपराध
(c)	सीमाशुल्क अधिनियम, की धारा 11	प्रतिबंधित सामग्रियों का आयात या निर्यात करने का अपराध
(d)	विधि-विरुद्ध (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 10 से 12	किसी अधिसूचित स्थान के लिए निर्गत किसी आदेश के विरुद्ध बने किसी ऐसे संगठन/संघ (Association) जिसे अवैध घोषित किया गया हो, का सदस्य होने का अपराध
(e)	विदेशी मुद्रा (विनियमन) अधिनियम, 1973; या	
(f)	स्वापक औषधिक और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985; या	
(g)	आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987	
	धारा 3	आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्तता का अपराध
	धारा 4	तोड़-फोड़ की गतिविधियों में संलिप्तता का अपराध
(h)	धारा 7 the Religious Institutions (Prevention of Misuse) Act, 1988	धारा 3 से 6 के प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने का अपराध
(i)	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951	
	धारा 125	निर्वाचन के सिलसिले में विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता पैदा करने का अपराध
	धारा 135	मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाने का अपराध
	धारा 135क	मतदान केन्द्र पर अवैध कब्जा करने का अपराध
	धारा 136 की उप-धारा 2 का खण्ड 1	किसी नामनिर्देशन पत्र को कपटपूर्ण रीति से नष्ट करने अथवा विकृत करने का अपराध

(j)	उपासना स्थल विशेष उपबंध, अधिनियम, 1991 की धारा 6	किसी पूजा स्थल के समपरिवर्तन का अपराध
(k)	राष्ट्र-गौरव अपमान-निवाड़न अधिनियम, 1971	
	धारा 2	भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा संविधान के प्रति अपमान का अपराध
	धारा 3	राष्ट्रगान को गाये जाने से रोकने का अपराध

(2) कोई व्यक्ति जो निम्नलिखित के उल्लंघन का अपराधी हो-

(क) जमाखोरी अथवा मुनाफाखोरी रोकने से सम्बंधित कोई विधि

(ख) खाद्य सामग्रियों अथवा औषधियों में मिलावट से संबंधित कोई विधि

(ग) दहेज निवारण अधिनियम, 1961 के प्रावधान

(घ) सती (निरोध) अधिनियम, 1987 के प्रावधान और जिसे इसके लिये कम से कम छः माह तक के कारावास की सजा दी गई हो, सजा दिये जाने की तिथि से निरर्हित घोषित किया जायेगा और कारावास से मुक्त होने के बाद अगले छः वर्ष की अवधि तक निरर्हित रहेगा।

(3) कोई व्यक्ति जो किसी भी अपराध के लिये कम से कम दो वर्ष की अवधि तक जेल में बंद रहा हो (उपर्युक्त कंडिका 1 अथवा 2 के अधीन उल्लिखित अपराधों को छोड़कर) सजा पाने की तिथि से लेकर जेल से बाहर आने की तिथि के बाद के छः वर्षों तक के लिये अयोग्य रहेगा।

(4) परन्तु कोई व्यक्ति यदि सजा दिये जाने की तिथि को संसद अथवा राज्य विधान मंडल का सदस्य हो तो सजा दिये जाने की तिथि से तीन माह तक, और यदि इस अवधि में दी गई सजा के विरुद्ध अपील की जाती है तो अपील के निस्तार होने तक, उपर्युक्त 1 से 3 तक की कंडिकाओं के अधीन निरर्हता प्रभावी नहीं होगी।

भ्रष्ट तरीके अपनाये जाने के कारण अयोग्यता

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(ए) के अनुसार किसी भी व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 99 के अधीन भ्रष्ट तरीके अपनाने का दोषी पाया जाता है (उच्च न्यायालय द्वारा किसी निर्वाचन याचिका के निष्पादन के उपरान्त), का मामला आदेश पारित होने के बाद यथाशीघ्र केन्द्रीय सरकार द्वारा इस हेतु अभिहित प्राधिकार द्वारा राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, जो यह निर्धारण करेगा कि क्या सम्बंधित व्यक्ति को निरर्हित किया जाये, और यदि किया जाये, तो कितनी अवधि के लिये। परन्तु

निरर्हित घोषित किये जाने की यह अवधि धारा 99 के अंतर्गत पारित आदेश के प्रभावी होने की तिथि से छः वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(केन्द्र सरकार द्वारा विशेष रूप से कहा गया है कि—

- (क) लोक सभा अथवा राज्य सभा के निर्वाचन से संबंधित मामले में क्रमशः लोक सभा या राज्य सभा के महासचिव तथा
- (ख) राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद से संबंधित निर्वाचन के मामले में क्रमशः विधान सभा अथवा विधान परिषद के सचिव उपर्युक्त प्राधिकारी होंगे)

ऊपर वर्णित मामलो में संसद सदस्यों के मामले में अपना निर्णय देने से पूर्व राष्ट्रपति/राज्य विधान मंडल के सदस्यों के मामले में अपना निर्णय देने से पूर्व राज्यपाल भारत निर्वाचन आयोग का मतव्य प्राप्त करेंगे और तदनुसार कार्रवाई करेंगे।

भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता (disloyalty) के लिये बर्खास्त किये जाने के कारण अयोग्यता

अधिनियम की धारा 9 के अनुसार जिसे भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करते हुए राज्य के प्रति निष्ठाहीनता अथवा भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत किया गया हो, पदच्युति की तिथि से पाँच वर्षों के लिये अयोग्य करार दिया जायेगा।

इसके लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, कि कोई व्यक्ति जो भारत सरकार अथवा राज्य सरकारी की सेवा से भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के आरोप में पदच्युत किया गया है अथवा नहीं, इस तथ्य का निर्णायक प्रमाण होगा। परंतु भ्रष्टाचार अथवा निष्ठाहीनता के आधार पर पदच्युति से सम्बंधित प्रमाण पत्र सम्बंधित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर दिये बिना निर्गत नहीं किया जायेगा।

सरकारी संविदा इत्यादि के लिये निरर्हता

अधिनियम की धारा 9क के अनुसार कोई व्यक्ति निरर्हित करार दिया जायेगा (और तब—तक अयोग्य रहेगा) यदि उसके तथा सम्बंधित सरकार के बीच, सरकार द्वारा कार्यान्वित किये जा रहे किसी कार्य को करने अथवा उसके लिये सामग्रियों की आपूर्ति हेतु कोई संविदा अस्तित्व में हो।

सरकार के अधीन किसी कम्पनी में पदधारण के कारण निरर्हता

अधिनियम की धारा 10 के आलोक में एक व्यक्ति निरर्हित माना जायेगा यदि (और तब—तक निरर्हित रहेगा) वह किसी ऐसी कम्पनी या निगम (सहकारिता समितियों को छोड़कर) जिसकी निधि में सरकार का अंश 25% से कम न हो, का प्रबंध अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा सचिव होगा।

निर्वाचन व्यय का लेखा समर्पित करने में असफलता के कारण निरर्हता

अधिनियम की धारा 10क के अधीन यदि निर्वाचन आयोग संतुष्ट हो कि कोई व्यक्ति—

- (क) अधिनियम द्वारा निर्धारित समय व विहित रीति से निर्वाचन व्यय से सम्बंधित लेखा समर्पित करने में असफल रहा है और
- (ख) इस असफलता के लिये कोई उचित तथा संतोषजनक कारण नहीं है, तब निर्वाचन आयोग, राजकीय गजट में प्रकाशित आदेश द्वारा उस व्यक्ति को निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि के बाद तीन वर्षों (3 years) के लिए निरर्हित माना जायेगा।

धारा 77 के अनुसार :-

- (1) प्रत्येक अभ्यर्थी, स्वयं अथवा अपने निर्वाचन अभिकर्ता के माध्यम से उस व्यय का पृथक व शुद्ध लेखा संधारित करेगा जो उसके नामनिर्देशन की तिथि व परिणाम घोषित होने की तिथि के बीच (दोनों तिथियों को शामिल करते हुए) उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता के प्राधिकरण से निर्वाचन कार्य हेतु किया गया है।
- (2) लेखा में वाहन, सभाओं तथा प्रचार इत्यादि पर हुए व्यय का विवरण संधारित होगा।
- (3) व्यय का कुल योग संसदीय क्षेत्र के निर्वाचन में 25 लाख रूपये तथा विधान सभा के निर्वाचन में 10 लाख रूपये की निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगा।

अधिनियम की धारा 78 के अनुसार चुनाव लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी चुनाव की तिथि से 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दायर करेगा जो धारा 77 के अधीन उसके या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा संधारित व्यय लेखा की सच्ची प्रति होगा।

निरर्हता अवधि का निवारण अथवा न्यूनीकरण

भारत निर्वाचन आयोग, कारणों को अभिलिखित करते हुए, अधिनियम की धारा 8'क' के अंतर्गत निरर्हता को छोड़कर, शेष को समाप्त कर सकता है अथवा अयोग्यता अवधि को घटा सकता है।

(i) जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का निर्वाचन सम्बंधी दायित्व।

- (1) भारत निर्वाचन आयोग की पूर्व स्वीकृति से मतदान केन्द्रों का चयन तथा उनका समयानुसार अधिष्ठापन (setting up)
- (2) प्रत्येक मतदान केन्द्र के लिये मतदान दलों का गठन तथा पीठासीन पदाधिकारी तथा मतदान पदाधिकारियों की नियुक्ति।
- (3) मतदान कर्मियों को गहन प्रशिक्षण देना (सुरक्षित कर्मियों सहित)
- (4) आम लोगों, राजनैतिक दलों, अभ्यर्थियों तथा प्रसार माध्यम से जुड़े व्यक्तियों को ई0वी0एम0 के उपयोग तथा कार्य पद्धति के प्रति जागरूक बनाना,
- (5) सेवा निर्वाचकों के लिये मतपत्रों का मुद्रण तथा प्रेषण,
- (6) प्रतियोगी अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय-लेखा की जाँच तथा

- (7) निर्वाचन के उपरान्त सभी ई0वी0एम0, निर्वाचन सम्बंधी कागजात व सामग्रियों की अभिरक्षा उतने समय के लिये जितना कि विहित हो।
- (ii) निर्वाची पदाधिकारी के कर्तव्यों का सारांश
- (1) मतदान के लिये अग्रिम विस्तृत कार्ययोजना की तैयारी
 - (2) पर्याप्त संख्या/परिमाण में ई0वी0एम0 तथा मतदान सामग्रियों की अधिप्राप्ति
 - (3) निर्वाचन हेतु अधिसूचना जारी होने की तिथि को ही निर्वाचनों का संचालन नियमावली 1961 के प्ररूप 1 में आम सूचना को निर्गत करना।
 - (4) नामनिर्देशन कागजात, जमानत राशि इत्यादि की प्राप्ति
 - (5) प्रत्याशियों द्वारा नामनिर्देशन पत्र दायर करने के बाद उन्हें शपथ दिलाना
 - (6) अभ्यर्थियों द्वारा दायर शपथ पत्र में दी गई सूचनाओं को प्रचारित करना
 - (7) नाम निर्देशन पत्रों की जांच
 - (8) किसी नाम निर्देशन पत्र को अस्वीकृत करने के कारणों को अभिलिखित करना
 - (9) उम्मीदवारी वापस लेने हेतु दी गई सूचना की प्राप्ति।
 - (10) प्रतियोगी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का वितरण।
 - (11) नामनिर्देशन हेतु सूचना, प्रत्याशियों की सूची जिनका नामनिर्देशन वैध पाया गया और प्रतियोगी प्रत्याशियों की सूची तैयार करना तथा प्रकाशित करना
 - (12) (i) मतपत्र, जिन्हें ई0वी0एम0 के बैलट यूनिट के लिये उपयोग में लाया जाना है, की व्यवस्था करना
 - (ii) डाक मतपत्र जो सेवा निर्वाचकों तथा निर्वाचन कार्य में लगे निर्वाचकों इत्यादि को भेजा जाना है तथा
 - (iii) टेन्डर मतपत्रों की आवश्यकता का आकलन तथा उनके मुद्रण व आपूर्ति की व्यवस्था करना,
 - (13) वर्गीकृत सेवा निर्वाचकों की सूची तैयार करना जिन्होंने प्रॉक्सी निर्वाचक नियुक्त किया है,
 - (14) राजनैतिक दलों तथा प्रतियोगी अभ्यर्थियों से सम्पर्क बनाना तकि स्वतंत्र, स्वच्छ और शांतिपूर्ण निर्वाचन सुनिश्चित हो सके।
 - (15) निर्वाचन का संचालन, विधि-व्यवस्था की स्थिति, आचार संहिता का अनुपालन इत्यादि से सम्बंधित सामान्य समस्याओं पर विमर्श करने हेतु बैठक का आयोजन

- (16) मतदान की तिथि से पूर्व भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यथानिर्देशित रीति से ई0वी0एम0 को तैयार करना तथा उपयोग में लाये जाने हेतु प्राधिकृत करना
- (17) ई0वी0एम0 तथा अन्य मतदान सामग्रियों की ढुलाई की व्यवस्था
- (18) मतदान के संचालन हेतु मतदान सामग्रियों का प्रेषण तथा ई0वी0एम0 और निविदत्त मतपत्रों की आपूर्ति।
- (19) मतदान का प्रभावी रीति से अधीक्षण
- (20) मतगणना कर्मियों की नियुक्ति
- (21) मतदान के पश्चात ई0वी0एम0 की पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ ढुलाई व अभिरक्षण,
- (22) मतगणना के लिये स्थान, तिथि व समय का निर्धारण तथा मतों की वास्तविक गणना
- (23) परिणाम की घोषणा।
- (24) परिणामों की घोषणा के पश्चात सभी ई0वी0एम0, निर्वाचन अभिलेख तथा निर्वाचन सामग्रियों की सुरक्षित अभिरक्षा हेतु जिला निर्वाचन पदाधिकारी को उपलब्ध करा देना।
- (25) निर्वाचन कार्यों का अधीक्षण

अभ्यर्थियों का नामनिर्देशन

नामनिर्देशन हेतु एक अभ्यर्थी को नीचे दर्शायी गई राशि जमा करनी होगी :-

	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
संसद की सदस्यता के लिये	रु0 10000/-	रु0 5000/-	रु0 5000/-
विधान सभा	रु0 5000/-	रु0 2500/-	रु0 2500/-
विधान परिषद	रु0 5000/-	रु0 2500/-	रु0 2500/-

जमानत की जमा राशि की वापसी

यदि किसी अभ्यर्थी को, उस निर्वाचन में डाले गए कुल वैध मतों के छठे भाग से अधिक मत प्राप्त होते हैं तो उसके द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जायेगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 के अनुसार मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों द्वारा खड़े किये गए अभ्यर्थियों के नाम सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र के किसी एक निर्वाचक द्वारा प्रस्तावित होने चाहिये। यदि कोई अभ्यर्थी किसी अमान्यता प्राप्त किन्तु रजिस्टर्ड राजनैतिक दल अथवा किसी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है तो उसके नाम का प्रस्ताव उस निर्वाचन क्षेत्र के 10 (दस) निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिये।

नाम निर्देशन के साथ समर्पित किये जाने वाले अभिलेख

1. शपथपत्र जिसमें अपराध, सम्पत्ति, देनदारी और योग्यता का वर्णन हो
2. प्ररूप 26 में शपथपत्र
3. मान्यताप्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय राजनैतिक दलों तथा निबंधित राजनैतिक दलों के लिये प्रपत्र 'ए' तथा 'बी' नाम निर्देशन के लिये निर्धारित अंतिम तिथि को 3:00 बजे से पूर्व निर्वाची पदाधिकारी को हस्तगत कराने का प्रावधान है।
4. निर्वाचक सूची की अभिप्रमाणित प्रति, यदि अभ्यर्थी किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक है।

नए राजनैतिक दल का निबंधन

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29 'ए' के अधीन विहित प्ररूप में किसी नए राजनैतिक दल का निबंधन भारत निर्वाचन आयोग में हो सकता है। निबंधन हेतु अनुरोध सचिव, भारत निर्वाचन आयोग निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली 110001 को भेजा जाना चाहिये।

चुनाव याचिका

किसी चुनाव पर चुनाव याचिका द्वारा सवाल उठाया जा सकता है जो चुनाव परिणाम घोषित होने के 45 दिनों के भीतर उच्च न्यायालय में दायर किया जायेगा।

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का दूरभाष नं० / फ़ैक्स नम्बर

क्रमांक	जिले का नाम	जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पदनाम	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके निर्वाची पदाधिकारी हैं	एस०टी० ०डी० कोड	दूरभाष संख्या (कार्यालय)	दूरभाष संख्या (आवास)	फ़ैक्स	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	जिला पदाधिकारी	32-पटना 18-बाढ़	0612	2222545	2222383/ 2222097	2222900	9835026485
2	भोजपुर	जिला पदाधिकारी	33-आरा	06182	221312	233311	233474	9430998011
3	बक्सर	जिला पदाधिकारी	34-बक्सर	06183	222336	222335	222231	943168490
4	रोहतास	जिला पदाधिकारी	36-विक्रमगंज	06184	222226	222224	221224	9431632414
5	कैमूर	जिला पदाधिकारी	35-सासाराम	06189	223241	223250	222250 223649	9431031500
6	गया	जिला पदाधिकारी	40-गया	0631	2420005	2420008	2223561	9431266407
7	जहानाबाद	जिला पदाधिकारी	38-जहानाबाद	06114	223072	223001	223142	9431226100
8	अरवल	जिला पदाधिकारी		06337	228994	228988	228988	9431476637
9	नवादा	जिला पदाधिकारी	39-नवादा	06324	212253	212240	212904	9430411000
10	औरंगाबाद	जिला पदाधिकारी	37-औरंगाबाद	06186	223167	223168	223211	9934035916
11	बाँका	जिला पदाधिकारी		06424	232304	232303	232289	9431513579
12	जमुई	जिला पदाधिकारी		06345	222002	222001	222277	9431075965

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का दूरभाष नं० / फ़ैक्स नम्बर

क्रमांक	जिले का नाम	जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पदनाम	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके निर्वाची पदाधिकारी हैं	एस०टी०डी ० कोड	दूरभाष संख्या (कार्यालय)	दूरभाष संख्या (आवास)	फ़ैक्स	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	वैशाली (हाजीपुर)	जिला पदाधिकारी	8-हाजीपुर (अनु० जा०)	06224	272201	272503	272593	9431030303
14	मुजफ्फरपुर	जिला पदाधिकारी	9-वैशाली 10-मुजफ्फरपुर	0621	2212101	2212105/ 2217285	2217285	9431608737
15	समस्तीपुर	जिला पदाधिकारी	16-रोसड़ा (अनु० जा०) 17-समस्तीपुर	06274	222300	222301	222216	9431807123
16	बेगूसराय	जिला पदाधिकारी	19-बलिया 30-बेगूसराय	06243	212285	200584	200571	9431802555
17	पूर्णिया	जिला पदाधिकारी	24-पूर्णिया	06454	242503	242501	242599	9430970477
18	कटिहार	जिला पदाधिकारी	25-कटिहार	06452	222581	222583	222880	9430294517
19	भागलपुर	जिला पदाधिकारी	27-भागलपुर	0641	2400012	2401202	2400918	9431513543
20	खगड़िया	जिला पदाधिकारी	28-खगड़िया	06244	222135	222134	222154	9431231748
21	मुंगेर	जिला पदाधिकारी	29-मुंगेर	06344	222402	222401	222254	9431232001
22	लखीसराय	जिला पदाधिकारी		06346	232124	232490	232767	9431235404
23	शेखपुरा	जिला पदाधिकारी		06341	223041	223100	223001	9431200302

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का दूरभाष नं० / फ़ैक्स नम्बर

क्रमांक	जिले का नाम	जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पदनाम	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके निर्वाची पदाधिकारी हैं	एस०टी ०डी० कोड	दूरभाष संख्या (कार्यालय)	दूरभाष संख्या (आवास)	फ़ैक्स	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24	पश्चिमी चम्पारण	जिला पदाधिकारी	2-बेतिया 3-मोतीहारी	06254	232534	232535	242576	9431062102
25	पूर्वी चम्पारण	जिला पदाधिकारी	1. बगहा (अनु० जा०)	06252	232695	242800	242711	9431604909
26	शिवहर	जिला पदाधिकारी		06222	257263	257360	257288	9431603444
27	सीतामढी	जिला पदाधिकारी	11-सीतामढी 12-शिवहर	06226	250439	250405	254516	9431241088
28	मधुबनी	जिला पदाधिकारी	13-मधुबनी 14-झंझारपुर	06276	222217	222218	222209	9431632212
29	दरभंगा	जिला पदाधिकारी	15-दरभंगा	06272	240335	240363	240360	9431219363
30	सुपौल	जिला पदाधिकारी		06473	223112	223111	223041	9431244051
31	सहरसा	जिला पदाधिकारी	20-सहरसा	06478	224102	223601	224986	9431243600
32	मधेपुरा	जिला पदाधिकारी	21-मधेपुरा	06476	222741	222742	222005	9430977066
33	अररिया	जिला पदाधिकारी	22-अररिया	06453	222001	222102	222124	9431228200
34	किशनगंज	जिला पदाधिकारी	23-किशनगंज	06456	222530	222535	222626	9431249964

जिला निर्वाचन पदाधिकारियों का दूरभाष नं० / फ़ैक्स नम्बर

क्रमांक	जिले का नाम	जिला निर्वाचन पदाधिकारी का पदनाम	लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसके निर्वाची पदाधिकारी हैं	एस०टी ०डी० कोड	दूरभाष संख्या (कार्यालय)	दूरभाष संख्या (आवास)	फ़ैक्स	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	गोपालगंज	जिलाधिकारी	4-गोपालगंज	06156	224661 225950	224662	224680 225950	9431016567
36	सिवान	जिलाधिकारी	5-सीवान 6-महाराजगंज	06154	242099	242098 242293	242160	9431218009
37	सारण	जिलाधिकारी	7-छपरा	06152	232301	232302	234895	9431008346
38	नालन्दा	जिलाधिकारी	31-नालंदा	06112	235203	235204	235205 235204	9431016008
39	प्रमंडलीय आयुक्त भागलपुर		26-बाँका	0641	2401001	2401201	2400502	9431214750

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाची पदाधिकारियों की सूची

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
1	पश्चिम चम्पारण	1- धनहा	उप निदेशक, चकबंदी, पश्चिम चम्पारण
		2- बगहा (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा
		3- रामनगर	अपर समाहर्ता, पश्चिम चम्पारण
		4- शिकारपुर (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, नरकटियागंज
		5- सिकटा	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
		6- लौरिया	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. पश्चिम चम्पारण
		7- चनपटिया	जिला कल्याण पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण
		8- बेतिया	अनुमंडल पदाधिकारी, बेतिया
		9- नौतन	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेतिया
2,	पूर्वी चम्पारण	10- रक्सौल	अनुमंडल पदाधिकारी, रक्सौल
		11- सुगौली	अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी सदर
		12- मोतिहारी	अपर समाहर्ता, राजस्व, पूर्वी चम्पारण
		13- आदापुर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, रक्सौल
		14- ढाका	अनुमंडल पदाधिकारी, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण
		15- घोड़ासहन	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. पूर्वी चम्पारण
		16- मधुबन	अनुमंडल पदाधिकारी, पकडीदयाल
		17- पिपरा (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, चकिया
		18- केसरीया	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., पूर्वी चम्पारण
		19- हरसिद्धी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, चकिया
		20- गोविन्दगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, अरेराज
3,	गोपालगंज	21- कटैया	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, गोपालगंज
		22- भोरे (अ.जा.)	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. गोपालगंज
		23- मीरगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, हथुआ
		24- गोपालगंज	अपर समाहर्ता, गोपालगंज
		25- बरौली	अनुमंडल पदाधिकारी, गोपालगंज
		26- बैकुण्ठपुर	जिला कल्याण पदाधिकारी, गोपालगंज
4,	सिवान	27- बसन्तपुर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिवान
		28- गोरेयाकोठी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., सिवान
		29- सिवान	अपर समाहर्ता, सिवान
		30- मैरवा (अ.जा)	उप विकास आयुक्त, सिवान
		31- दरौली	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सिवान
		32- जीरादेई	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., सिवान
		33- महाराजगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, महाराजगंज
		34- रघुनाथपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिवान सदर
5,	सारण	35- मांझी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., सारण
		36- बनियापुर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सारण
		37- मशरख	अपर समाहर्ता, सारण
		38- तरैया	भूमि सुधार उप समाहर्ता, मढौड़ा, सारण
		39- मढौड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, मढौड़ा, सारण
		40- जलालपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, छपरा सदर
		41- छपरा	उप विकास आयुक्त, सारण
		42- गरखा (अ.जा)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सारण
		43- परसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सारण
		44- सोनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम		
1	2	3	4		
6.	वैशाली	45- हाजीपुर	उप विकास आयुक्त, वैशाली		
		46- राघोपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, हाजीपुर		
		47- महनार	अनुमंडल पदाधिकारी, महनार		
		48- जनदाहा	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, वैशाली		
		49- पातेपुर (अ.जा)	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, वैशाली		
		50- महुआ (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, महुआ, वैशाली		
		51- लालगंज	अपर समाहर्ता, वैशाली		
		52- वैशाली	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., वैशाली		
7.	मुजफ्फरपुर	53- पारू	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर		
		54- साहेबगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पश्चिमी मुजफ्फरपुर		
		55- बरुराज	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पश्चिमी मुजफ्फरपुर		
		56- काँटी	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर		
		57- कूढनी	अपर समाहर्ता, मुजफ्फरपुर		
		58- सकरा (अ.जा)	जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर		
		59- मुजफ्फरपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी मुजफ्फरपुर		
		60- बोचहाँ (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पूर्वी मुजफ्फरपुर		
		61- गायघट्टी	मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, मुजफ्फरपुर		
		62- औराई	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए. मुजफ्फरपुर		
		63- मीनापुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए. मुजफ्फरपुर		
		8.	सीतामढ़ी	64- रून्नीसैदपुर	अपर समाहर्ता, सीतामढ़ी
				65- बेलसंड	अनुमंडल पदाधिकारी, बेलसंड
67- सीतामढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, सीतामढ़ी सदर				
68- बथनाहा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., सीतामढ़ी				
69- मेजरगंज (अ.जा)	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., सीतामढ़ी				
70- सोनबरसा	जिला परिवहन पदाधिकारी, सीतामढ़ी				
71- सुरसण्ड	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, सीतामढ़ी				
72- पुपरी	अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी, सीतामढ़ी				
9.	शिवहर	66- शिवहर	अनुमंडल पदाधिकारी, शिवहर		
10.	मधुबनी	73- बेनीपट्टी	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपट्टी,		
		74- बिस्फी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., मधुबनी		
		75- हरलाखी	अनुमंडल पदाधिकारी, जयनगर		
		76- खजौली (अ.जा)	अपर समाहर्ता, मधुबनी		
		77- बाबूबरही	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन डी0आर0डी0ए0, मधुबनी		
		78- मधुबनी	अनुमंडल पदाधिकारी, मधुबनी सदर		
		79- पंडौल	भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर, मधुबनी		
		80- झंझारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, झंझारपुर		
		81- फूलपरास	अनुमंडल पदाधिकारी, फूलपरास		
		82- लौकहा	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधुबनी		
		83- मधेपुर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, झंझारपुर		
11.	दरभंगा	84- मनीगाछी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बेनीपुर		
		85- बहेड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, बेनीपुर		
		86- घनश्यामपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, बिरोल		
		87- बहेडी	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिरोल		
		88- दरभंगा(ग्रामीण)(अ.जा)	जिला भू-अर्जन पदाहर्ता, दरभंगा		
		89- दरभंगा	अनुमंडल पदाधिकारी, दरभंगा सदर		
		90- केवटी	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा		
		91- जाले	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, दरभंगा		
		92- हायाघाट	जिला कल्याण पदाधिकारी, दरभंगा		
		101-सिंधिया (अ.जा)	अपर समाहर्ता, दरभंगा		

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
12	समस्तीपुर	93- कल्याणपुर	अपर समाहर्ता, समस्तीपुर
		94- वारिसनगर (अ.जा)	उप विकास आयुक्त, समस्तीपुर
		95- समस्तीपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर
		96- सरायरंजन	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., समस्तीपुर
		97- मोहिउद्दीन नगर	अनुमंडल पदाधिकारी, पटोरी
		98- दलसिंह सराय	अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय
		99- विभूतिपुर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, समस्तीपुर
		100-रोसड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, रोसड़ा
		102-हसनपुर	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, समस्तीपुर
		13	बेगूसराय
104-मटिहानी	जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय		
105-बेगूसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, बेगूसराय		
106-बरौनी	अपर समाहर्ता, बेगूसराय		
107-बछवाड़ा	अनुमंडल पदाधिकारी, तेघड़ा		
108-चेरिया बरियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, मंझौल		
109-बखरी (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, बखरी		
14	सुपौल		
		111-किसनपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, निर्मली
		112-सुपौल	अनुमंडल पदाधिकारी, सुपौल
		113-त्रिवेणीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, त्रिवेणीगंज
		114-छातापुर (अ.जा)	अपर समाहर्ता, सुपौल
15	मधेपुरा	115-कुमारखंड (अ.जा)	अपर समाहर्ता, मधेपुरा
		116-सिंहेश्वर	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., मधेपुरा
		120-मधेपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा
		122-किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, उदकिसुनगंज
		123- आलमनगर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, उदाकिसुनगंज
16	सहरसा	117-सहरसा	अनुमंडल पदाधिकारी, सहरसा सदर
		118-महिषी	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सहरसा
		119-सिमरी बख्तियारपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर
		121-सोनवरसा	अपर समाहर्ता, सहरसा
		17	पूर्णियाँ
125-धमदाहा	अनुमंडल पदाधिकारी, धमदाहा		
126-बनमनखी (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, बनमनखी		
136-अमौर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., पूर्णियाँ		
137-बायसी	अनुमंडल पदाधिकारी, बायसी		
138-कसबा	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., पूर्णियाँ		
139-पूर्णियाँ	अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्णियाँ सदर		
अररिया	अररिया		
		128-नरपतगंज	उप विकास आयुक्त, अररिया
		129-फारबिसगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, फारबिसगंज
		130-अररिया	अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया
		131-सिकटी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., अररिया
		132-जौकीहाट	अपर समाहर्ता अररिया

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
19	किशनगंज	133-बहादुरगंज	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., किशनगंज
		134-ठाकुरगंज	अपर समाहर्ता, किशनगंज
		135-किशनगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज
20	कटिहार	140-कोढ़ा (अ.जा)	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, कटिहार
		141-बरारी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., कटिहार
		142-कटिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, कटिहार
		143-कदवा	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., कटिहार
		144-बारसोई	अनुमंडल पदाधिकारी, बारसोई
		145-प्राणपुर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, कटिहार
		146-मनिहारी	अनुमंडल पदाधिकारी, मनिहारी
21	भागलपुर	147-पीरपैती	अनुमंडल पदाधिकारी, कहलगाँव
		148-कहलगाँव	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन डी.आर.डी.ए., भागलपुर
		149-नाथनगर	अपर समाहर्ता, भागलपुर
		150-भागलपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, भागलपुर सदर
		151-गोपालपुर	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, भागलपुर
		152-बिहपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, नवगछिया
		153-सुलतानगंज (अ.जा)	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., भागलपुर
22	बाँका	154-अमरपुर	अपर समाहर्ता, बाँका
		155-धौरैया (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता बाँका
		156-बाँका	अनुमंडल पदाधिकारी, बाँका
		157-बेलहर	जिला भू अर्जन पदाधिकारी बाँका
		158-कटोरिया	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका
23	जमुई	159-चकाई	अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई
		160-झाझा	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., जमुई
		170-जमुई	उप विकास आयुक्त, जमुई
		171-सिकन्दरा (अ.जा)	अपर समाहर्ता, जमुई
24	मुंगेर	161-तारापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, तारापुर
		162-खडगपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, खडगपुर
		167-मुंगेर	अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर सदर
		168-जमालपुर	अपर समाहर्ता, मुंगेर
25	खगड़िया	163-परबत्ता	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., खगड़िया
		164-चौथम	अनुमंडल पदाधिकारी, गोगरी
		165-खगड़िया	अनुमंडल पदाधिकारी, खगड़िया
		166-अलौली (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, खगड़िया
26	लखीसराय	169-सूर्यगढ़ा	अपर समाहर्ता, लखीसराय
		172-लखीसराय	अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय
27	शेखपुरा	173-शेखपुरा	अनुमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा
		174-बरबीघा (अ.जा)	अपर समाहर्ता, शेखपुरा
28	नालंदा	175-अस्थावाँ	अपर समाहर्ता, नालंदा
		176-बिहार	अनुमंडल पदाधिकारी, बिहार शरीफ
		177-राजगीर (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर
		178-नालन्दा	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, नालन्दा
		179-इस्लामपुर	भूमि सुधार उप समाहर्ता, हिलसा
		180-हिलसा	अनुमंडल पदाधिकारी, हिलसा
		181-चण्डी	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., नालन्दा
		182-हरनौत	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., नालन्दा

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
29	पटना	183-मोकामा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़
		184-बाढ़	अनुमंडल पदाधिकारी, बाढ़
		185-बख्तियारपुर	अपर जिला दण्डाधिकारी (आपूर्ति), पटना
		186-फतुहॉ (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सिटी
		187-मसौढ़ी	अनुमंडल पदाधिकारी, मसौढ़ी
		188-पटना पश्चिम	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर
		189-पटना केन्द्रीय	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर
		190-पटना पूर्वी	अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी
		191-दानापुर	अनुमंडल पदाधिकारी, दानापुर
		192-मनेर	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना
		193-फुलवारी (अ.जा)	जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना
		194-विक्रम	जिला पंचायती राज पदाधिकारी, पटना
		195-पालीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, पालीगंज
		30	भोजपुर
197-बड़हरा	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., भोजपुर		
198-आरा	अनुमंडल पदाधिकारी, आरा सदर		
199-शाहपुर	भूमि सुधार उप समाहर्ता जगदीशपुर		
204-जगदीशपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, जगदीशपुर		
205-पीरो	अनुमंडल पदाधिकारी, पीरो		
206-सहार (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, पीरो		
31	बक्सर	200-ब्रह्मपुर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., बक्सर
		201-बक्सर	अनुमंडल पदाधिकारी, बक्सर
		202-राजपुर (अ.जा)	अपर समाहर्ता, बक्सर
		203-डुमराँव	अनुमंडल पदाधिकारी, डुमराँव
32	रोहतास	207-काराकाट	भूमि सुधार उप समाहर्ता, बिक्रमगंज
		208-बिक्रमगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, बिक्रमगंज
		209-दिनारा	अपर समाहर्ता, रोहतास
		214-सासाराम	अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम
		215-चेनारी (अ.जा)	निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., रोहतास
		216-नोखा	भूमि सुधार उप समाहर्ता सासाराम
		217-डिहरी	अनुमंडल पदाधिकारी, डिहरी
33	कैमूर	210-रामगढ़	उप विकास आयुक्त, कैमूर
		211-मोहनियाँ (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, मोहनियाँ
		212-भभुआ	अनुमंडल पदाधिकारी, भभुआ
		213-चैनपुर	अपर समाहर्ता, कैमूर
34	औरंगाबाद	218-नवीनगर	निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., औरंगाबाद
		219-देव (अ.जा)	अपर समाहर्ता, औरंगाबाद
		220-औरंगाबाद	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., औरंगाबाद
		221-रफीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद
		222-ओबरा	भूमि सुधार उप समाहर्ता, दाउदनगर
		223-गोह	अनुमंडल पदाधिकारी, दाउदनगर
		224-अरवल	अनुमंडल पदाधिकारी, अरवल
35	अरवल	225-कुर्था	भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल
		226-मखदुमपुर	अपर समाहर्ता (नक्सल), जहानाबाद
36	जहानाबाद	227-जहानाबाद	अनुमंडल पदाधिकारी, जहानाबाद
		228-घोसी	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., जहानाबाद

क्रम संख्या	जिला का नाम	विधान सभा क्षेत्र का संख्या एवं नाम	निर्वाची पदाधिकारियों का पदनाम
1	2	3	4
37	गया	229-बेलागंज	अपर समाहर्ता, गया
		230-कोच	अनुमंडल पदाधिकारी, टिकारी
		231-गया मुफस्सिल	अपर समाहर्ता, (नक्सल), गया
		232-गया शहर	अनुमंडल पदाधिकारी, गया सदर
		233-इमामगंज (अ.जा)	अनुमंडल पदाधिकारी, शेरघाटी
		234-गुरुआ	जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, गया
		235-बोधगया (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, गया सदर
		236-बाराचट्टी (अ.जा)	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गया
		237-फतेहपुर (अ.जा)	निदेशक राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए., गया
		238-अतरी	अनुमंडल पदाधिकारी, नीमचक बथानी
38	नवादा	239-नवादा	अपर समाहर्ता, नवादा
		240-रजौली (अ.जा)	भूमि सुधार उप समाहर्ता, रजौली
		241-गोविन्दपुर	अनुमंडल पदाधिकारी, रजौली
		242-बारसलीगंज	अनुमंडल पदाधिकारी, नवादा
		243-हिसूआ	निदेशक, लेखा एवं प्रशासन, डी.आर.डी.ए., नवादा

14 वीं विधान सभा 2005 के निर्वाचित सदस्य

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
1	धनहा	राजेश सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
2	बगहा (अ.जा)	पूर्णमासी राम	जनता दल (यूनाइटेड)
3	रामनगर	चन्द्रमोहन राय	भारतीय जनता पार्टी
4	शिकारपुर (अ.जा)	भागीरथी देवी	भारतीय जनता पार्टी
5	सिकटा	खुर्शद उर्फ फिरोज आलम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
6	लैरिया	प्रदीप सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
7	चनपटिया	सतीश चंद्र दुबे	भारतीय जनता पार्टी
8	बेतिया	रेणु देवी	भारतीय जनता पार्टी
9	नौतन	बैद्यनाथ प्रसाद महतो	जनता दल (यूनाइटेड)
10	रक्सौल	डा० अजय कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
11	सुगौली	रामचंद्र सहनी	भारतीय जनता पार्टी
12	मोतीहारी	प्रमोद कुमार	भारतीय जनता पार्टी
13	आदापुर	श्याम बिहारी प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
14	ढाका	अवनीश कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
15	घोड़ासहन	लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
16	मधुबन	शिवजी राय	जनता दल (यूनाइटेड)
17	पिपरा (अ.जा)	कृष्णनंदन पासवान	भारतीय जनता पार्टी
18	केसरिया	राजेश कुमार रौशन उर्फ बबलु देव	राष्ट्रीय जनता दल
19	हरसिद्धि	महेश्वर सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
20	गोबिन्दगंज	मीना देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
21	कटैया	अमरेन्द्र कुमार पाण्डेय	बहुजन समाज पार्टी
22	भोरे (अ.जा)	अनिल कुमार	राष्ट्रीय जनता दल
23	मीरगंज	राम सेवक सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
24	गोपालगंज	सुबाष सिंह	भारतीय जनता पार्टी
25	बरौली	राम प्रवेश राय	भारतीय जनता पार्टी
26	बैकुंठपुर	देवदत्त प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
27	बसन्तपुर	मानिकचन्द राय	राष्ट्रीय जनता दल
28	गोरियाकोठी	इन्द्रदेव प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
29	सिवान	ब्यासदेव प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
30	मैरवा (अ.जा)	रामायण मांझी	भारतीय जनता पार्टी
31	दरौली	अमर नाथ यादव	कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
32	जीरादेई	श्याम बहादूर सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
33	महाराजगंज	दामोदर सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
34	रघुनाथपुर	जगमातो देवी	जनतादल (यूनाइटेड)
35	मांझी	गौतम सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
36	बनियापुर	मनोरंजन सिंह	जनतादल (यूनाइटेड)
37	मशरख	केदार नाथ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
38	तरैया	राम दास राय	राष्ट्रीय जनता दल

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
39	मढ़ौरा	लाल बाबु राय ग्राम-पोझी कपूर	निर्दलीय
40	जलालपुर	जनार्दन सिंह "सीग्रीवाल"	भारतीय जनता पार्टी
41	छपरा	राम प्रवेश राय	राष्ट्रीय जनता दल
42	गड़खा (अ.जा)	ज्ञानचन्द माँझी	भारतीय जनता पार्टी
43	परसा	छोटे लाल राय	जनता दल (यूनाइटेड)
44	सोनपुर	रामानुज प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
45	हाजीपुर	नित्यानन्द राय	भारतीय जनता पार्टी
46	राघोपुर	राबड़ी देवी	राष्ट्रीय जनता दल
47	महनार	रामा किशोर सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
48	जंदाहा	डा० अच्युतानंद	लोक जन शक्ति पार्टी
49	पातेपुर (अ.जा)	प्रेमा चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
50	महुआ (अ.जा.)	शिव चन्द राम	राष्ट्रीय जनता दल
51	लालगंज	विजय कुमार शुक्ला	जनता दल (यूनाइटेड)
52	वैशाली	वृशिण पटेल	जनता दल (यूनाइटेड)
53	पारू	अशोक कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
54	साहेबगंज	राजू कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
55	बरुराज	शशि कुमार राय	जनता दल (यूनाइटेड)
56	कॉटी	अजीत कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
57	कुढ़नी	मनोज कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
58	सकरा (अ.जा)	बिलट पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
59	मुजफ्फरपुर	विजेन्द्र चौधरी	निर्दलीय
60	बोचहा (अ.जा.)	रमई राम	राष्ट्रीय जनता दल
61	गौघट्टी	महेश्वर प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
62	औराई	अर्जुन राय	जनता दल (यूनाइटेड)
63	मीनापुर	दिनेश प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
64	रुन्नीसैदपुर	गुडी देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
65	बेलसंड	संजय कुमार गुप्ता	राष्ट्रीय जनता दल
66	शिवहर	अजीत कुमार झा	राष्ट्रीय जनता दल
67	सीतामढ़ी	सुनील कुमार उर्फ "पिन्टु"	भारतीय जनता पार्टी
68	बथनाहा	नगीना देवी ग्राम-पोसुआ पटनिया	लोक जन शक्ति पार्टी
69	मेजरगंज (अ.जा.)	दिनकर राम	भारतीय जनता पार्टी
70	सोनबरसा	डा० राम चन्द्र पूर्वे	राष्ट्रीय जनता दल
71	सुरसंड	जय नन्दन प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
72	पुपरी	शाहिद अली खान	जनता दल (यूनाइटेड)
73	गायघट्टी	शालीग्राम यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
74	बिस्फी	हरि भूषण ठाकुर	निर्दलीय
75	हरलाखी	राम नरेश पाण्डेय	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
76	खजौली (अ.जा.)	राम प्रीत पासवान	भारतीय जनता पार्टी
77	बाबूबरही	कपिलदेव कामत	जनता दल (यूनाइटेड)
78	मधुबनी	राम देव महतो	भारतीय जनता पार्टी
79	पंडौल	विनोद नारायण झा	भारतीय जनता पार्टी

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
80	झंझारपुर	नीतीश मिश्रा	जनता दल (यूनाइटेड)
81	फुलपरास	देव नाथ यादव	समाजवादी पार्टी
82	लौकहा	हरी प्रसाद साह	जनता दल (यूनाइटेड)
83	मधेपुर	जगत नारायण सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
84	मनिगाछी	ललित कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
85	बहेड़ा	अब्दुल बारी सिद्दिकी	राष्ट्रीय जनता दल
86	घनश्यामपुर	इजहार अहमद	लोक जन शक्ति पार्टी
87	बहेड़ी	हरे कृष्ण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
88	दरभंगा ग्रामीण (अ.जा.)	पीताम्बर पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
89	दरभंगा	संजय सरावगी	भारतीय जनता पार्टी
90	केवटी	अशोक कु० यादव	भारतीय जनता पार्टी
91	जाले	राम निवास प्र०	राष्ट्रीय जनता दल
92	हायाघाट	हरिनन्दन यादव	राष्ट्रीय जनता दल
93	कल्याणपुर	अश्वमेघ देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
94	वारिसनगर (अ.जा.)	महेश्वर हजारी	लोक जन शक्ति पार्टी
95	समस्तीपुर	राम नाथ ठाकुर	जनता दल (यूनाइटेड)
96	सरायरंजन	रामचन्द्र सिंह निषाद	राष्ट्रीय जनता दल
97	मोहीउद्दीन नगर	अजय कुमार बुलगानीन	राष्ट्रीय जनता दल
98	दलसिंह सराय	राम लखन महतो	राष्ट्रीय जनता दल
99	बिभूतिपुर	राम देव वर्मा	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट)
100	रोसड़ा	गजेन्द्र प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
101	सिधिया (अ.जा.)	डा० अशोक कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
102	हसनपुर	सुनील कुमार पुष्पम	राष्ट्रीय जनता दल
103	बलिया	जमशेद असरफ	जनता दल (यूनाइटेड)
104	मटिहानी	नरेंद्र कुमार सिंह	निर्दलीय
105	बेगूसराय	भोला सिंह	भारतीय जनता पार्टी
106	बरौनी	राजेन्द्र प्रसाद सिंह	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
107	बछवाड़ा	रामदेव राय	इंडियन नेशनल कांग्रेस
108	चेरिया बरियारपुर	अनिल चौधरी	लोक जन शक्ति पार्टी
109	बखरी (अ.जा.)	राम विनोद पासवान	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया
110	राघोपुर	नीरज कुमार सिंह "बबलू"	जनता दल (यूनाइटेड)
111	किसनपुर	अनिरुद्ध प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
112	सुपौल	बिजेन्द्र प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
113	त्रिवेणीगंज	विश्व मोहन कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
114	छातापुर (अ.जा.)	विश्व मोहन भारती	जनता दल (यूनाइटेड)
115	कुमारखण्ड (अ.जा.)	रमेश ऋषिदेव	जनता दल (यूनाइटेड)
116	सिधेश्वर	रामेश्वर प्रसाद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
117	सहरसा	संजीव कुमार झा	भारतीय जनता पार्टी
118	महिषी	गुंजेश्वर साह	जनता दल (यूनाइटेड)
119	सिमरी-बख्तियारपुर	दिनेश चन्द्र यादव	जनता दल (यूनाइटेड)

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
120	मधेपुरा	मणीन्द्र कुमार मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
121	सोनबरसा	किशोर कुमार	निर्दलीय
122	किशनगंज	रेणु कुमारी	जनता दल (यूनाइटेड)
123	आलमनगर	नरेन्द्र नाथ यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
124	रूपौली	बीमा भारती	राष्ट्रीय जनता दल
125	धमदाहा	दिलीप कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
126	बनमनखी (अ.जा.)	कृष्ण कुमार ऋषि	भारतीय जनता पार्टी
127	रानीगंज (अ.जा.)	रामजी दास ऋषिदेव	भारतीय जनता पार्टी
128	नरपत गंज	जनार्दन यादव	भारतीय जनता पार्टी
129	फारबिसगंज	लक्ष्मी नारायण मेहता	भारतीय जनता पार्टी
130	अररिया	प्रदीप कुमार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
131	सिकटी	मुरली धर मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
132	जोकीहाट	मंजर आलम	जनता दल (यूनाइटेड)
133	बहादुरगंज	मो0 तौसीफ आलम	इंडियन नेशनल काँग्रेस
134	ठाकुरगंज	गोपाल कुमार अग्रवाल	समाजवादी पार्टी
135	किशनगंज	अखतरुल ईमान	राष्ट्रीय जनता दल
136	अमौर	अब्दुल जलील मस्तान	इंडियन नेशनल काँग्रेस
137	बायसी	सैयद रुकनुदीन	निर्दलीय
138	कस्बा	प्रदीप कुमार दास	भारतीय जनता पार्टी
139	पूणियां	राज किशोर केशरी	भारतीय जनता पार्टी
140	कोढा (अ.जा.)	सुनीता देवी	इंडियन नेशनल काँग्रेस
141	बरारी	विभाष चन्द्र चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
142	कटिहार	तार किशोर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
143	कदवा	अबदुल जलील	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी
144	बारसोई	मुन्नाफ आलम	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
145	प्राणपुर	महेन्द्र नारायण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
146	मनिहारी	विश्वनाथ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
147	पीरपैती	शोभा कांत मंडल	राष्ट्रीय जनता दल
148	कहलगांव	अजय कुमार मंडल	जनता दल (यूनाइटेड)
149	नाथनगर	सुधा श्रीवास्तव	जनता दल (यूनाइटेड)
150	भागलपुर	अश्विनी कुमार चौबे	भारतीय जनता पार्टी
151	गोपालपुर	नरेन्द्र कु0 नीरज	जनता दल (यूनाइटेड)
152	बिहपुर	शैलश कुमार उर्फ बुलो मंडल	राष्ट्रीय जनता दल
153	सुल्तानगंज (अ.जा.)	सुधांशु शेखर भास्कर	जनता दल (यूनाइटेड)
154	अमरपुर	सुरेन्द्र प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
155	धुरैया (अ.जा.)	भुदेव चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
156	बाँका	राम नारायण मंडल	भारतीय जनता पार्टी
157	बेलहर	जनार्दन मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
158	कटोरिया	राज किशोर प्रसाद उर्फ पप्पु यादव	राष्ट्रीय जनता दल
159	चकाई	फाल्गुनी प्रसाद यादव	भारतीय जनता पार्टी
160	झांझा	दामोदर रावत	जनता दल (यूनाइटेड)

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
161	तारापुर	शकुनी चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
162	खडगपुर	अनन्त कुमार सत्यार्थी	जनता दल (यूनाइटेड)
163	परबत्ता	रमानंद प्रसाद सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
164	चौथम	पन्ना लाल सिंह "पटेल"	जनता दल (यूनाइटेड)
165	खगड़िया	पूनम देवी (यादव)	जनता दल (यूनाइटेड)
166	अलौली (अ.जा.)	पशुपति कुमार पारस	लोक जन शक्ति पार्टी
167	मुंगेर	मोनाजिर हसन	जनता दल (यूनाइटेड)
168	जमालपुर	शैलेश कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
169	सूरजगढ़ा	प्रेम रंजन पटेल	भारतीय जनता पार्टी
170	जमुई	अभय सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
171	सिकन्दरा (अ.जा.)	रामेश्वर पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
172	लखीसराय	फुलैना सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
173	खपपुरा	सुनीला देवी	इंडियन नेशनल कॉंग्रेस
174	बरबीघा (अ.जा.)	रामसुन्दर राम कनौजिया	जनता दल (यूनाइटेड)
175	अस्थावाँ	जितेंद्र कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
176	बिहार	डा० सुनील कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
177	राजगीर (अ.जा.)	सत्यदेव नारायण आर्य	भारतीय जनता पार्टी
178	नालन्दा	श्रवण कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
179	इस्लामपुर	प्रतिमा सिन्हा	जनता दल (यूनाइटेड)
180	हिलसा	रामचरित्र प्रसाद सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
181	चंडी	हरिनारायण सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
182	हरनौत	सुनील कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
183	मोकामा	अनंत कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
184	बाढ़	ज्ञानेन्द्र कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
185	बख्तियारपुर	विनोद यादव	भारतीय जनता पार्टी
186	फतुहा (अ.जा.)	सरयुग पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
187	मसौढ़ी	पूनम देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
188	पटना पश्चिम	नितिन नवीन	भारतीय जनता पार्टी
189	पटना केन्द्रीय	अरुण कुमार सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
190	पटना पूर्व	नन्द किशोर यादव	भारतीय जनता पार्टी
191	दानापुर	आशा देवी	भारतीय जनता पार्टी
192	मनेर	श्रीकांत निराला	राष्ट्रीय जनता दल
193	फुलवारी (अ.जा.)	श्याम रजक	राष्ट्रीय जनता दल
194	विक्रम	अनिल कुमार	भारतीय जनता पार्टी
195	पालीगंज	नन्द कुमार नन्दा	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
196	संदेश	विजेन्द्र कुमार यादव	राष्ट्रीय जनता दल
197	बड़हरा	आशा देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
198	आरा	अमरेन्द्र प्रताप सिंह	भारतीय जनता पार्टी
199	गहपुर	मुन्नी देवी	भारतीय जनता पार्टी
200	ब्रह्मपुर	अजीत चौधरी	राष्ट्रीय जनता दल
201	बक्सर	हृदय नारायण सिंह	बहुजन समाज पार्टी

विधान सभा क्षेत्र की क्रम संख्या एवं नाम		निर्वाचित सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल (यदि कोई हो)
1	2	3	4
202	राजपुर (अ.जा.)	श्याम प्यारी देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
203	डुमराँव	ददन सिंह	अखिल जन विकास दल
204	जगदीशपुर	श्रीभगवान सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
205	पीरो	नरेन्द्र कुमार पाण्डे	जनता दल (यूनाइटेड)
206	सहार (अ.जा.)	राम नरेश राम	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
207	काराकट	अरुण सिंह	कम्युनिष्ट पार्टी आफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)
208	बिक्रमगंज	जय कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
209	दिनारा	सीता सुंदरी देवी	बहुजन समाज पार्टी
210	रामगढ़	जगदानन्द सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
211	मोहनियाँ (अ.जा.)	छेदी पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
212	भभुआ	रामचन्द्र सिंह यादव	बहुजन समाज पार्टी
213	चैनपुर	महाबली सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
214	सासाराम	जवाहर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
215	चेनारी (अ.जा.)	ललन पासवान	जनता दल (यूनाइटेड)
216	नोखा	रामेश्वर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
217	देहरी	प्रदीप कुमार जोशी	निर्दलीय
218	नबीनगर	विजय कुमार सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
219	देव (अ.जा.)	रेणु देवी	जनता दल (यूनाइटेड)
220	औरंगाबाद	रामाधार सिंह	भारतीय जनता पार्टी
221	रफीगंज	मो० नेहाल उद्दीन	राष्ट्रीय जनता दल
222	ओबरा	सत्यनारायण सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
223	गोह	डा० रण विजय कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
224	अरवल	दुलारचंद सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
225	कुर्था	सुचित्रा सिन्हा	जनता दल (यूनाइटेड)
226	मखदूमपुर	कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा	राष्ट्रीय जनता दल
227	जहानाबाद	सच्चिता नन्द यादव	राष्ट्रीय जनता दल
228	घोसी	जगदीश शर्मा	जनता दल (यूनाइटेड)
229	बेलागंज	सुरेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
230	कोंच	डा० अनिल कुमार	जनता दल (यूनाइटेड)
231	गया मुफस्सिल	अवधेश कुमार सिंह	इंडियन नेशनल कांग्रेस
232	गया टाउन	प्रेम कुमार	भारतीय जनता पार्टी
233	इमामगंज (अ.जा.)	उदय नारायण चौधरी	जनता दल (यूनाइटेड)
234	गुरूआ	शकील अहमद खान	राष्ट्रीय जनता दल
235	बोधगया (अ.जा.)	हरि मांझी	भारतीय जनता पार्टी
236	बाराचट्टी (अ.जा.)	जीतन राम मांझी	जनता दल (यूनाइटेड)
237	फतेहपुर (अ.जा.)	अजय पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
238	अतरी	कुंती देवी	राष्ट्रीय जनता दल
239	नवादा	पुर्णिमा यादव	निर्दलीय
240	रजौली (अ.जा.)	बनवारी राम	भारतीय जनता पार्टी
241	गोबिन्दपुर	कौशल यादव	निर्दलीय
242	वारसलीगंज	प्रदीप कुमार	निर्दलीय
243	हिसुआ	अनिल सिंह	भारतीय जनता पार्टी

4(b)(v)
नियम, निदेश, हस्तक तथा कार्यसम्पादन हेतु अभिलेख

क्रमांक	अधिनियम, नियमावली, नियम, हस्तक इत्यादि के नाम	विषयवस्तु का सारांश/निर्देश यदि कोई हो	मूल्य
1.	निर्वाचन विधि का हस्तक जिल्द -1	<ol style="list-style-type: none"> 1. संविधान से उद्धरण 2. भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) से उद्धरण 3. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 (1950 का 43) 4. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) 5. Government of National Capital Territory of Delhi Act, 1991 (1 of 1992) का उद्धरण 6. परिसीमन अधिनियम 2002 (2002 का 33) 7. The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976 (108 of 1976) 8. पदाधिकारी जिसके समक्ष अभ्यर्थी शपथ ले सकते हैं, 9. The Constituion (Scheduled Castes) Order, 1950 10. The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories) Order, 1951 11. अनर्हता निवारण से सम्बंधित विधि तथा अन्य सूचनाएँ 	600/-
2.	निर्वाचन विधि का हस्तक जिल्द -2	<ol style="list-style-type: none"> 1. निर्वाचक निबंधन नियमावली 1960 2. निर्वाचन का संचालन नियमावली 1961 3. चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश 1968 4. राजनैतिक दलों व चुनाव चिन्हों की सूची- जम्मू एवं कश्मीर की विधान सभा निर्वाचन को छोड़कर शेष सभी संसदीय व विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के संदर्भ में। 5. राज्य सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश। 6. भ्रष्ट आचार से सम्बंधित आवेदन ग्रहण करने हेतु धारा 8 'क' के अधीन विहित पदाधिकारी 7. केन्द्र शासित प्रदेश की विधान सभा की सीट के प्रत्याशी जिनके समक्ष शपथ लेंगे वे पदाधिकारी। 	600/-

3.	प्रत्याशियों के लिये हस्त-पुस्तिका।	चुनाव में प्रत्याशी के रूप में खड़ा होने के लिए निर्वाचन विधि तथा प्रक्रियाओं के प्रावधान,	100/-
4.	मतदान अभिकर्ताओं के लिये हस्त पुस्तिका	किसी निर्वाचक के लिये किसी मतदान केन्द्र पर मतदान अभिकर्ता के कर्तव्य का निर्वहन करने के सम्बंध में निर्वाचन नियमों के प्रावधान	50/-
5.	मतगणना अभिकर्ताओं के लिये हस्त पुस्तिका	मतगणना केन्द्र पर मतगणना अभिकर्ता द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से सम्बंधित विधि व प्रक्रियाओं से सम्बंधित प्रावधान।	50/-
6.	राजनैतिक दल व चुनाव चिन्ह	यह निबंधित तथा अनिबंधित राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय राजनैतिक दलों तथा उन्हें आवंटित चुनाव चिन्हों की सूची है।	75/-
7.	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8'क', 10'क' और 11'क'(2) के अंतर्गत अयोग्य घोषित किये गए व्यक्तियों की सूची,	लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8'क', 10'क', 11'क'(2) के प्रावधानों का उल्लंघन करने के कारण अयोग्य घोषित व्यक्तियों की सूची।	200/-
8.	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक सूची, निर्वाचक सूची का सार।	निर्वाचकों की, मतदान केन्द्र-वार तथा विधान सभा क्षेत्र-वार सूची (पृष्ठ-वार)	एक रू0 प्रति पृष्ठ

उपर्युक्त सभी पुस्तकें भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली में उपलब्ध हैं तथा वहां से क्रय की जा सकती हैं। इन पुस्तकों की विषयवस्तु निर्वाचन आयोग के वेबसाईट (www.eci.gov.in) पर भी उपलब्ध है। प्रत्याशियों, मतदान अभिकर्ताओं तथा मतगणना अभिकर्ताओं से सम्बंधित हस्त-पुस्तकें जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में चुनाव के समय बिक्री हेतु उपलब्ध होती हैं। निर्वाचक सूची की प्रतियाँ सम्बंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के पास उपलब्ध होती हैं।

4(b)(vi)

निर्वाचन विभाग, बिहार द्वारा नियंत्रित व संचारित अभिलेखों का वर्गीकरण

क्रमांक	अभिलेख की प्रकृति	उपलब्ध सूचनाओं का विवरण	कहाँ उपलब्ध होंगे	संधारित रखने की अवधि
1	निर्वाचक सूचियाँ	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रवार, मतदान केन्द्रवार, निर्वाचकों के नाम	सम्बंधित निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय में	भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार
2	निर्वाचन सम्बंधी अभिलेख	नामनिर्देशन पत्र, शपथपत्र, चुनाव परिणाम, प्रपत्र 20, प्रपत्र 21ग, 21घ, 21ङ इत्यादि	जिला निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में	भारत निर्वाचन आयोग के निदेश तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अनुसार

4(b)(ix)

विभागीय पदाधिकारियों की निर्देशिका

क्र०	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या (कार्यालय)	दूरभाष संख्या (आवास)	मोबाइल	फैक्स
1	श्री सुधीर कुमार राकेश	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के सचिव	0612-2224856	2357233	9431009328	2224611 2227977
2	श्री विनोद शंकर लाल	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के उप सचिव	0612-2207509	2275008	9835037514	
3	श्री कुमार अंशुमाली	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	0612-2224352	2265213	9831631088	
4	श्री राजेन्द्र चौधरी	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के अवर सचिव	0612-2225978			
5	श्री बैजूनाथ कुमार सिंह	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	0612-2224856		9431002972	
6	श्री विनय कुमार	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	0612-2224856		9431002974	
7	श्री संजय कुमार सुरीन	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	0612-2224856		9431002942	
8	श्री मनोज कुमार सिंह	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	0612-2224856		9835850725	
9	श्री राजेन्द्र प्रसाद कर्ण	प्रशाखा पदाधिकारी	0612-2224856	0612-2590343		

4(b)(x)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों व कर्मचारियों की विवरणी

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	संवर्ग	वेतनमान
1	2	3	4	5
1	मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	आई0ए0एस0	18400-500-22400
2	उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	2	बी0ए0एस0	12000-375-16500
3	सहायक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी	1	सहायक	10000-325-15200
4	अवर निर्वाचन पदाधिकारी	4	एस0ई0ओ0	6500-200-10500
5	प्रशाखा पदाधिकारी	1	सहायक	6500-200-10500
6	निजी सहायक	2	निजी सहायक	5500-175-9000
7	सहायक	12	सहायक	5500-175-9000
8	टंकक	3	टंकक	4000-100-6000
9	दिनचर्या लिपिक	1	दिनचर्या लिपिक	4000-100-6000
10	दफ्तरी	1	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	2550-3200
11	अनुसेवक	8	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	2550-3200
12	फर्राश	1	चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी	2550-3200

4(b)(xi)

बजट प्रावधान

विभिन्न प्रकार की निर्वाचन सम्बंधी गतिविधियों के संचालन के लिये निधि की आवश्यकता होती है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

1. विधान सभा की सीटें भरने हेतु चुनावों/उपचुनावों के संचालन के लिये निधि की आवश्यकता का भार बिहार सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
2. संसदीय चुनावों/उपचुनावों के लिये आवश्यक निधि का भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
3. राज्य की विधान सभा तथा लोक सभा के चुनाव साथ-साथ होने पर व्यय राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर वहन किया जाता है।
4. निर्वाचन कार्यालय संधारण, निर्वाचक सूचियों की तैयारी तथा अद्यतीकरण, तथा मतदाता फोटो पहचान पत्र तैयार करने तथा वितरित करने पर होने वाले व्यय का वहन राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा 50:50 के आधार पर किया जाता है।

शीर्ष-2015-निर्वाचन के अधीन वित्तीय वर्ष 2007-08 का बजट उपबंध

क्रमांक	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	इकाई	बजट उपबंध	प्रथम अनुपूरक द्वारा उपबंधित	बिहार आकस्मिता निधि से स्वीकृत अग्रिम	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	102-निर्वाचन अधिकारी	0001-मुख्यालय प्रभार और सामान्य स्थापना	वेतन	18434000			18434000
			परिवहन भत्ता	87600			87600
			मकान भत्ता	3913200			3913200
			धुलाई भत्ता	33200			33200
			नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	98700			98700
			विशेष भत्ता	8400			8400
			चिकित्सा भत्ता	303600			303600
			महंगाई वेतन	9196100			9196100
			जिवन यापन भत्ता	9671200			9671200
			यात्रा व्यय	500000			500000
			कार्यालय व्यय	660000		539000	1199000
			किराया महशूल एवं कर	600000			600000
			वाहन का ईंधन एवं रख रखाव	300000			300000
			एल.टी.सी.	250000			250000
			दूरभाष	225000			225000
			वर्दी	132000			132000
			विद्युत प्रभार (उर्जा उपभोग)	300000			300000
योग :- 102- निर्वाचन अधिकारी :-				44713000		539000	45252000
2.	103-निर्वाचन नामावली तैयार करना और मुद्रण	0001-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	यात्रा व्यय	80000	1110000		1190000
			कार्यालय व्यय	1400000	12752000	104091000	118243000
		0002-विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्रों की सूची	यात्रा व्यय	1000	199000		200000
			कार्यालय व्यय	2000	1498000		1500000
योग :- 103- निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण :-				1483000	15559000	104091000	121133000

3.	105-संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार	0001-लोक सभा का आम निर्वाचन	यात्रा व्यय	10000			10000
			कार्यालय व्यय	2500000			2500000
		0002-लोक सभा का उप निर्वाचन	यात्रा व्यय	5000000			5000000
			कार्यालय व्यय	20000000			20000000
		0003-राज्य सभा का द्विवार्षिक निर्वाचन	यात्रा व्यय	1000			1000
			कार्यालय व्यय	1000			1000
		0004-राज्य सभा का उप निर्वाचन	यात्रा व्यय	1000			1000
			कार्यालय व्यय	1000			1000
योग :- 105- संसद के चुनाव कराने के लिये प्रभार :-				27514000	0	0	27514000
4.	106-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिये प्रभार	0001-राज्य विधान सभा का आम निर्वाचन	यात्रा व्यय	1000			1000
			कार्यालय व्यय	1000	45830000	14000	45845000
		0002-राज्य विधान परिषद का द्विवार्षिक निर्वाचन	यात्रा व्यय	1000	100000		101000
			कार्यालय व्यय	246000	400000		646000
		0003-राज्य विधान सभा का उप निर्वाचन	यात्रा व्यय	2500000			2500000
			कार्यालय व्यय	10000000			10000000
		0004-राज्य विधान परिषद का उप निर्वाचन	यात्रा व्यय				0
			कार्यालय व्यय	1000000			1000000
योग :- 106- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिये प्रभार :-				13749000	46330000	14000	60093000
5.	108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	0001-मतदाताओं को पहचान पत्र निर्गत करने पर व्यय	यात्रा व्यय	100000			100000
			कार्यालय व्यय	130000000			130000000
योग :- 108- मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना :-				130100000	0	0	130100000
कुल योग :- 2015-निर्वाचन :-				217559000	61889000	104644000	384092000

4(1)(b) XVII

अन्य वांछनीय सूचनाएँ

(i) निर्वाचन के संचालन से सम्बंधित सामान्य सूचनाएँ

भारत के संविधान द्वारा संसदीय चुनावों, राज्यों के विधान मंडलीय निर्वाचनों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का दायित्व भारत निर्वाचन आयोग में निहित किया गया है।

निर्वाचनों का संचालन सम्वैधानिक प्रावधानों तथा संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अंतर्गत होता है। प्रमुख अधिनियम हैं— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950, जो मुख्यतः निर्वाचक सूची की तैयारी व पुनरीक्षण के बारे में है; लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जो निर्वाचनों का संचालन तथा निर्वाचन के बाद के विवादों के बारे में है। उच्चतम न्यायालय ने मत स्थिर किया है कि जहां किसी समस्या के समाधान की दिशा में अधिनियमित विधियाँ चुप हैं या अपर्याप्त हैं, वहाँ स्थिति से निपटने की शक्ति भारत निर्वाचन आयोग को संविधान के अंतर्गत प्राप्त है।

निर्वाचन से सम्बंधित अधिक जानकारी के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित विभिन्न हस्तकों का अवलोकन, आयोग के वेबसाइट (www.eci.gov.in) पर किया जा सकता है।

बिहार राज्य से सम्बंधित सामान्य सूचनाएँ

(क) लोकसभा की सीटें

निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	कुल
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	33	7	0	40

(ख) विधान सभा की सीटें

निर्वाचन क्षेत्र का प्रकार	सामान्य	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	कुल
निर्वाचन क्षेत्र की संख्या	204	39	0	243

(ग) चौदहवीं लोक सभा में राज्य से प्रतिनिधि

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
1. बगहा (अ0जा0)	श्री कैलाश बैठा	जनता दल (यूनाइटेड)

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
2. बेतिया	श्री रघुनाथ झा	राष्ट्रीय जनता दल
3. मोतिहारी	श्री अखिलेश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
4. गोपालगंज	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	राष्ट्रीय जनता दल
5. सिवान	श्री मोहम्मद शहाबुद्दीन	राष्ट्रीय जनता दल
6. महाराजगंज	श्री प्रभुनाथ सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
7. छपरा	श्री लालू प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
8. हाजीपुर (अ0जा0)	श्री राम विलास पासवान	लोक जन शक्ति पार्टी
9. वैशाली	डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
10. मुजफ्फरपुर	श्री जॉर्ज फर्नांडीस	जनता दल (यूनाइटेड)
11. सीतामढ़ी	श्री सीता राम यादव	राष्ट्रीय जनता दल
12. शिवहर	श्री सीता राम सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
13. मधुबनी	डॉ० शकील अहमद	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14. झंझारपुर	श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
15. दरभंगा	मो० अली अशरफ फातमी	राष्ट्रीय जनता दल
16. रोसड़ा (अ0जा0)	श्री रामचन्द्र पासवान	लोक जन शक्ति पार्टी
17. समस्तीपुर	श्री आलोक कुमार मेहता	राष्ट्रीय जनता दल
18. बाढ़	श्री विजय कृष्ण	राष्ट्रीय जनता दल
19. बलिया	श्री सूरज सिंह	लोक जन शक्ति पार्टी
20. सहरसा	श्रीमती रंजीत रंजन	लोक जन शक्ति पार्टी
21. मधेपुरा	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पु यादव	राष्ट्रीय जनता दल
22. अररिया (अ0ज0)	श्री सुकदेव पासवान	भारतीय जनता पार्टी
23. किशनगंज	श्री तस्लीमुद्दीन	राष्ट्रीय जनता दल
24. पूर्णिया	श्री उदय सिंह	भारतीय जनता पार्टी
25. कटिहार	श्री निखिल कुमार चौधरी	भारतीय जनता पार्टी
26. बांका	श्री गिरिधारी यादव	राष्ट्रीय जनता दल
27. भागलपुर	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	भारतीय जनता पार्टी
28. खगड़िया	श्री रविन्दर कु० राणा	राष्ट्रीय जनता दल

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का नाम व संख्या	निर्वाचित प्रतिनिधि का नाम	सम्बद्ध दल
29. मुंगेर	श्री जय प्रकाश नारायण यादव	राष्ट्रीय जनता दल
30. बेगूसराय	श्री राजीव रंजन सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
31. नालंदा	श्री रामस्वरूप प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
32. पटना	श्री रामकृपाल यादव	राष्ट्रीय जनता दल
33. आरा	श्रीमती कांति सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
34. बक्सर	श्री लालमुनि चौबे	भारतीय जनता पार्टी
35. सासाराम (अ0जा0)	श्रीमती मीरा कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
36. विक्रमगंज	श्री अजीत कुमार सिंह	जनता दल (यूनाइटेड)
37. औरंगाबाद	श्री निखिल कुमार	इंडियन नेशनल कांग्रेस
38. जहानाबाद	श्री गणेश प्रसाद सिंह	राष्ट्रीय जनता दल
39. नवादा (अ0जा0)	श्री वीरचन्द्र पासवान	राष्ट्रीय जनता दल
40. गया (अ0जा0)	श्री राजेश कुमार मांझी	राष्ट्रीय जनता दल

(ग) राज्य सभा में राज्य के प्रतिनिधि

क्रमांक	सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल
1.	श्री आर0 के0 धवन	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
2.	श्री महेन्द्र प्रसाद	जनता दल (यूनाइटेड)
3.	श्री जयनारायण प्रसाद निषाद	भारतीय जनता पार्टी
4.	श्री प्रेम चन्द गुप्ता	राष्ट्रीय जनता दल
5.	श्री दशिष्ठ नारायण सिंह	समता पार्टी
6.	श्री शरद यादव	जनता दल (यूनाइटेड)
7.	श्री राजनीति प्रसाद	राष्ट्रीय जनता दल
8.	श्री अली अनवर	जनता दल (यूनाइटेड)

क्रमांक	सदस्य का नाम	सम्बद्ध दल
9.	श्री रामदेव भंडारी	राष्ट्रीय जनता दल
10.	श्री शत्रुघ्न प्रसाद सिन्हा	भारतीय जनता पार्टी
11.	श्री रवि शंकर प्रसाद	भारतीय जनता पार्टी
12.	श्री सुभाष प्रसाद यादव	राष्ट्रीय जनता दल
13.	श्री महेन्द्र सहनी	जनता दल (यूनाइटेड)
14.	श्री मोतिरुर रहमान	राष्ट्रीय जनता दल
15.	श्री जाबिर हुसैन	राष्ट्रीय जनता दल
16.	श्री मंगनी लाल मंडल	राष्ट्रीय जनता दल